उन्नति विचार

वर्ष : 5 अंक : 4 अक्टूबर-दिसम्बर, 2000

अनुक्रम

संपादकीय 1

विकास विचार 2
स्थानीय स्तर पर लोकतंत्र के समक्ष खतरा

आपके लिए 12
मूक क्रांति की झंकार

अपनी बात 16
शिक्षण दलित बालिकाओं तक पहुँचा

पोशित्रा विशिष्ट आर्थिक क्षेत्रः निर्यात और विकास किस कीमत पर?

गतिविधियां एवं भावी कार्यक्रम 25

संदर्भ सामग्री 33

अपने बारे में 34

संपादकीय टीम :
दीपा सोनपाल
बिनोय आचार्य

वार्षिक चंदा : 25/- मात्र बैंक ड्राफ्ट अथवा मनीऑर्डर 'उन्नति' विकास शिक्षण संस्थान, अहमदाबाद के नाम भेजें ।

केवल सीमित वितरण के लिए

संपादकीय

नागरिकों के कर्तव्य हेतु अवसर

वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण के माहौल में राज्य की भूमिका सीमित हो रही है, तब भी ऐसा लगता है कि राज्य ज्यादा से ज्यादा ताकतवर बन रहा है। आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का एक भी पहलू ऐसा नहीं बचा कि जिसमें राज्य की मध्यस्थता की आवश्यकता न पड़े। पर राज्य की इस मध्यस्थता में नागरिकों की सहभागिता सीमित हो रही है, ऐसा लगता है। राज्य निजी कंपनियों की तरह ही महाकाय बनता जा रहा है। शक्तिशाली राज्य के समक्ष नागरिक पंगु बन रहा है क्योंकि राज्य स्वयं ही बाजारोन्मुखी बनता जा रहा है। राज्य के नियम और विनियम बाजार को अधिक मानवकेन्द्री बनाने पर ध्यान दे रहे हैं। अतः राज्य कभी खुल्लमखुल्ला तो कभी प्रच्छन्न रीति से बाजार को ऐसी सुविधा प्रदान करने का माध्यम बन रहा है ताकि वह समाज के प्रति अपना उत्तरदायित्व अदा न करे। ऐसी परिस्थिति में नागरिकों के कर्तव्य के अवसर सीमित होते जा रहे हैं। नागरिक-समाज की उचित भूमिका और उसका उचित अभिगम व्यवस्थित आकार ग्रहण न कर सके इसके लिए बाजार और राज्य दोनों साथ मिलकर समझौता कर रहे हैं।

इस परिस्थिति के विरुद्ध नागरिकों की आवाज छोटे-मोटे रूप में उठती रही है, पर वह एक समग्र स्वरूप के परिवर्तन के रूप में आकार ग्रहण नहीं कर पाती। नागरिकों की विविध समस्याओं संबंधी आंदोलन छोटी-मोटी घटनाएँ बन जाती हैं और वर्तमान व्यवस्था में उल्लेखनीय बदलाव लाने के साधन के रूप में उनका मूल्य टिकाऊ नहीं बन पाता। मुद्रित और प्रसार माध्यम ऐसे आंदोलनों को सहारा अवश्य देते हैं, लेकिन बहुत बार नागरिक समाज में ठोस काम करने के लिए ऐसा सहारा खड़ा करने में वे निष्फल रहते हैं। नागरिक समाज की चिंताएँ मानों समाज के खास वर्ग तक ही सीमित रह गई हैं, उसे भी राज्य और बाजार दोनों उपेक्षित करते हैं। लोकतंत्र को अधिक सार्थक बनाने के तरीके सोचने की जरूरत है। 73वें और 74वें संविधान संशोधन ने लोकतांत्रिक ढाँचे में स्थानीय स्तर पर जन-भागीदारी को अधिक सशक्त व अर्थपूर्ण बनाने का संन्निष्ठ प्रयास किया है। परंतु विभिन्न राज्य सरकारें स्थानीय स्वशासी संस्थाओं के चुनावों को ही किसी न किसी बहाने से पीछे धकेल रही हैं। इससे भी शासन में नागरिकों की भूमिका का अवसर क्षीण होता नजर आ रहा है। फिर, ऐसे कदमों के बारे में कोई सार्वजनिक चर्चा भी तो नहीं होती अथवा न के बराबर होती है। अतः लोकतंत्र को सही अर्थ में लोकशासन बनाने के लिए लोगों को जाग्रत करना जरूरी है। स्वैच्छिक संस्थाओं के सीमित मात्रा के प्रयास सीमित लोगों तक ही पहुँचते हैं, यह उनकी एक महत्त्वपूर्ण क्षति है। यह क्षतिपूर्ति तभी हो सकेगी, जब अपने मूलभूत अधिकारों के लिए लोग स्वयं सक्रिय बनेंगे और राज्य की गतिविधियों को नागरिकों की इच्छा के अनुसार आकार देंगे। स्वैच्छिक संस्थाओं को इस अर्थ में अधिक लोगों तक पहुँचने के मार्ग सोचने पड़ेंगे। राज्य को और बाजार को नागरिकों के अधिकारों के प्रति अनुक्रियाशील बनाने का एकमात्र रास्ता यही है कि इन दोनों संस्थाओं में नागरिकों के कर्तव्य हेतु ज्यादा मात्रा में अवसर सामने आएं और स्वैच्छिक संस्थाएँ इसके लिए विशेष प्रयास करें।

स्थानीय स्तर पर लोकतंत्र के समक्ष खतरा

भारत के विभिन्न राज्यों में कई राज्य सरकारें अपने यहाँ पंचायतों के चुनावों को स्थगित रखने के निर्णय ले रही हैं। इन निर्णयों से स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया अवरुद्ध होती है। उन्नति के **श्री बिनोय आचार्य** और **श्री हेमन्तकुमार शाह** ने इस लेख में विभिन्न राज्यों में पंचायती चुनाव स्थगित रखने के निर्णयों की और अदालतों द्वारा दी गई प्रतिक्रियाओं की तथा गुजरात में लोगों के द्वारा व्यक्त की गई प्रतिक्रियाओं की विस्तार से चर्चा की गई है।

प्रस्तावना

देश भर में पिछले कुछ समय से विभिन्न राज्य सरकारों ने अपने यहाँ पंचायतों के चुनावों को स्थगित रखने के निर्णय लिये हैं। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा स्थानीय स्वशासी संस्थाओं को तीसरे स्तर की सरकार का दर्जा मिला था। बावजूद इसके, राज्य सरकारें पंचायतों के बाबत गंभीर नहीं हैं, यह बात उनके हाल के निर्णयों से स्पष्ट है। सन् 1992 में 73वाँ संविधान संशोधन पारित हो जाने के बाद सन् 1993 में देश के अधिकांश राज्यों में पंचायत चुनाव हुए थे। संविधान संशोधन की कुछेक क्रांतिकारी व्यवस्थाओं की वजह से देश भर में पंचायतें अधिक सक्षम हुई हैं और उनकी राजनीतिक व प्रशासनिक सत्ता तथा दबाव बढ़ रहे हैं। लगता है कि राज्य सरकारें पंचायतों की उभरती हुई सत्ता से घबराती हैं।

देश में अब भी कई राज्यों में बहुत लंबे अर्से से पंचायतों का गठन नहीं हुआ और दूसरे कई राज्य अपने यहाँ किसी न किसी बहाने से पंचायतों के चुनावों को स्थगित रखे हुए हैं। पंचायत के चुनाव न होने से संविधान के प्रावधानों की अवहेलना होती है, यह एक वास्तविकता है। फिर भी पंचायती चुनावों में विलंब हो रहा है।

पंचायत के चुनाव कराये जाने के लिए नागरिकों और चुनाव आयोग ने कई राज्यों में अदालतों की सहायता ली है। लेकिन अदालत की कार्यवाही लंबी खिंच जाने पर आखिर तो पंचायतों को लंबी अवधि तक मृतप्राय बना रहना पड़ता है। अदालतों के फैसले भी इस सन्दर्भ में स्पष्ट नहीं होते, उससे भी उलझन पैदा हो जाती है। अतएव स्थानीय स्तर पर लोकतंत्र के सामने जबर्दस्त खतरा खड़ा हो गया है। इसके अतिरिक्त एक महत्त्वपूर्ण खतरा स्थानीय स्तर पर पंचायतों के माध्यम से होने वाले विकास कार्यों की उपेक्षा से संबंधित है। उदाहरणार्थ, गुजरात पंचायत अधिनियम 1993 के अनुसार जिला पंचायत, तहसील पंचायत व ग्राम पंचायत को विकास

सरपंच द्वारा अधिकारियों को दी गई रिश्वत का ग्राम सभा में विवरण

सरपंचों पर कई बार रिश्वत लेने के आक्षेप लगते हैं, परन्तु रायपुर के कुम्हारकाम गाँव के सरपंच जगदीश वर्मा ने विभिन्न सरकारी अधिकारियों को ग्राम पंचायत के विकास कार्यों के निमित्त जो रिश्वत दी थी, उसका हिसाब रखा और बाद में ग्राम सभा में उसका विवरण सार्वजनिक किया! केन्द्र सरकार की ओर से सार्वजनिक कल्याण कार्यों हेतु जो राशि मिलती है, वह फौरन प्राप्त हो, इसके लिए सरपंच ने पंचायत से ही यह रिश्वत दी थी।

दिनांक 25.8.2000 को ग्राम सभा की एक विशेष बैठक बुलाई गई थी। पंचायत के कामों का प्रतिवेदन ग्राम सभा में प्रस्तुत करते समय सरपंच ने ऐसी सूचना दी कि पारसवाणी और माधुका गाँवों के बीच का मार्ग रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत बनवाने के लिए 23095 रु. का खर्चा हुआ। जब इस खर्चे का विवरण लोगों ने माँगा तो सरपंच ने कहा कि रुपए मिलने में देरी न हो, इसके लिए उसने विभिन्न सरकारी अधिकारियों को रिश्वत दी थी। 5000 रु. की सबसे बड़ी रकम उस अंचल के उप-इंजीनियर को दी गई थी। बड़े प्रशासनिक अधिकारी को और हैड क्लर्क को दो-दो हजार रु. की रिश्वत दी गई। तीन पंचों को पांच-पांच सौ रुपए दिए गए और उप-सरपंच व पटवारी को एक-एक हजार चुकाये गए। पंचायत की एक महिला सदस्या को 300 रु. दिये गए थे। उस समय ग्राम सभा में पटवारी उपस्थित था। पटवारी सतीश वर्मा ने रिश्वत लिये जाने का यों कहते हुए बचाव किया कि सरकार ने पिछले पाँच महीनों से उसे स्टाईपेंड नहीं दिया। बाद में जिला कलेक्टर ने इस मामले में जाँच कराने का आदेश दिया था।

एवं प्रशासन संबंधी अनेकानेक कार्य सौंपे गए हैं। ये कार्य चुने हुए प्रतिनिधियों की अनुपस्थिति में ठप्प पड़े रहने की ही संभावना रहेगी। इससे विकास की प्रक्रिया में जबर्दस्त विलंब होता है। 73 वें संविधान संशोधन के बाद चुनी हुई पंचायतों में दलितों, आदिवासी तथा पिछड़े वर्ग के सदस्यों, सरपंचों तथा महिलाओं ने विकास के लिए अनेक कल्याणकारी कार्य हाथ में लिये हैं और उनका राजनीतिक एवं सामाजिक नेतृत्व खड़ा हुआ है। पंचायतों के चुनावों को इस तरह स्थगित रखने से तथा उनको प्रशासकों के नियंत्रण में लाने से इस तरह स्थानीय नेतृत्व और विकास दोनों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।

देश के विभिन्न राज्यों में पंचायती चुनावों को स्थगित रखने के लिए राज्य सरकारों ने जो बहाने दिये हैं और अदालतों ने उनके संबंध में जो कुछ कहा है, इसका विवरण यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है।

राज्य सरकारें और पंचायती चुनाव

73वें संविधान संशोधन के पश्चात प्रत्येक राज्य सरकार ने अपने पंचायत संबंधी नियम नए बनाए हैं अथवा उनमें सुधार किए हैं। इन नियमों में पंचायतों की समयावधि तय की गई है। साथ ही साथ किन-किन परिस्थितियों में चुनाव स्थगित किया जा सकता है, इसकी व्यवस्था भी संबंधित अधिनियम में की गई है। पर 73वें संविधान संशोधन की धारा-243(ई) की स्पष्ट व्यवस्था को ऐसी चुनाव स्थगित करने वाली व्यवस्थाएं भंग करती हैं। एक भी राज्य में पंचायती चुनाव समयावधि पूरी होने से पहले नहीं कराये गए।

गुजरात

गुजरात में 18000 से अधिक गांव और 13000 से अधिक ग्राम-पंचायतें हैं। इनमें से 8000 से अधिक ग्राम-पंचायतों की समयावधि जुलाई-2000 में पूरी हो गई थी। इसलिए जुलाई-2000 से पहले ग्राम पंचायतों के चुनाव हो जाने चाहिए थे, लेकिन इन ग्राम-पंचायतों के चुनाव दिसम्बर-2000 में करने तय किए गए थे। परंतु राज्य सरकार ने 4.11.2000 को गुजरात पंचायत अधिनियम-1993 में संशोधन करने वाला अध्यादेश जारी कर दिया और ग्राम पंचायतों के चुनाव स्थगित कर दिए। इस अध्यादेश के द्वारा पंचायत अधिनियम का नियम 257(2) रद्द कर दिया गया। नियम 257 में ऐसी व्यवस्था की गई थी कि प्राकृतिक विपदा के कारण चुनाव न किए जा सकें तो राज्य सरकार ज्यादा से ज्यादा तीन महिनों तक चुनाव स्थगित कर सकती है। वह व्यवस्था अब रद्द हो चुकी है और इसका यह अर्थ है कि राज्य सरकार प्राकृतिक विपदा के बहाने चाहे जितने समय तक पंचायतों के चुनाव स्थगित कर सकती है।

यहां उल्लेखनीय है कि गुजरात के पुराने पंचायत अधिनियम में नियम 303(ख) में भी ऐसी ही व्यवस्था की गई थी, पर उसमें एक वर्ष तक चुनाव स्थगित करने की व्यवस्था थी। अर्थात 1993 का नया पंचायत अधिनियम पुराने पंचायत अधिनियम की तुलना में अधिक प्रगतिशील था, जिसमें एक वर्ष की स्थगितता-व्यवस्था को घटाकर सिर्फ तीन महीने कर दिया गया था। सरकार ने अध्यादेश जारी करके नियम-257(2) को रद्द करके प्राकृतिक विपदा के समय पंचायत के चुनाव स्थगित रखकर जो अमर्यादित सत्ता प्राप्त कर ली है, वह स्थानीय लोकतंत्र के लिए खतरनाक है।

अध्यादेश के राजपत्र के साथ जो निवेदन राज्यपाल के द्वारा जारी किया गया है, उसमे ऐसा लिखा गया है कि, गत वर्ष मानसून के विफल रहने से राज्य के अनेक भागों को अभूतपूर्व अकाल का सामना करना पड़ा है और इस वर्ष भी मानसून के विफल रहने के कारण परिस्थिति और ज्यादा बिगड़ी है । अकाल की दशा और तीव्र हुई है और राज्य सिर्फ अकाल की समस्या का ही नहीं अपितु, घास चारे व पानी की समस्या का सामना भी कर रहा है। ऐसी स्थिति में यह जरूरी है कि राज्य-प्रशासन अभूतपूर्व अकाल से निबटने के लिए सक्रिय हो। ऐसी प्राकृतिक विपदा में 8000 से अधिक ग्राम-पंचायतों के चुनाव कराये जाने से उनके निमित्त अकाल-राहत कार्य करने मुश्किल हो जाएंगे और ऐसे राहत-कार्यों के क्रियान्वयन पर निश्चित प्रभाव पड़ेगा ।'

इस निवेदन से ऐसा फलित होता है कि पंचायत के चुनाव राहत-कार्यों में विघ्न डालेंगे। परंतु राज्य सरकार ने 30 जनवरी, 2001 के बाद राहत-कार्य शुरू करने की घोषणा की है। तब भला दिसंबर-2000 में अकाल की दशा में तहसील और जिला पंचायतों के चुनाव आयोजित किए जा सकते थे तो सर्दियों में दिसंबर 2000 में ग्राम-पंचयातों के चुनाव क्यों नहीं आयोजित किए जा सकते थे?

गुजरात सरकार ने 3-11-2000 के दिन ही राजस्व विभाग के प्रस्ताव के मुताबिक 5262 गाँवों में अकाल की और 5169 गाँवों में आधे-अभाव की स्थिति घोषित की थी। अर्थात् यह स्पष्ट दिख रहा है कि ग्राम पंचायतों के चुनावों की स्थगितता को उचित ठहराने के लिए ही स्थगितता की घोषणा के अगले दिन यह निर्णय लिया गया था। वस्तुतः पंचायत नियमों में प्राकृतिक विपदा के समय राहत कार्य करने का दायित्व पंचायतों को ही सौंपा गया है, फिर भी पंचायतों के अस्तित्व को माना राहत कार्य के लिए अवरोध-स्वरूप समझा जाता है। गुजरात सरकार ने अकाल का नाम लेकर ग्राम-पंचायतों में चुनाव स्थगित रखे हैं। पर दिसंबर के बाद तो चुनाव आयोजित करने की संभावना का अकाल की परिस्थिति में घट जाना स्वाभाविक है। इसका कारण यह है कि दिसंबर के बाद अकाल की तीव्रता सतत बढ़ती जाएगी। ऐसी दशा में यह संभावना है कि ग्राम-पंचायतों के चुनाव कम से कम सितम्बर 2001 तक स्थगित रहें। ऐसे में यह निश्चित है कि ग्राम-पंचायतें लगभग सवा वर्ष तक चुने हुए प्रतिनिधियों से वंचित रहेंगी।

पंचायत, ग्राम-गृह निर्माण एवं ग्राम-विकास विभाग ने 4-11-2000 को प्रकाशित विज्ञापन में सूचित किया है कि सरकार तीन माह बाद परिस्थिति की समीक्षा करेगी। परंतु तीन माह बाद ग्राम पंचायतों के चुनाव आयोजित होंगे ही, ऐसा जरूरी नहीं, क्योंकि पंचायत नियम की धारा-257(2) ही अध्यादेश के द्वारा रद्द की जा चुकी है, जिससे गुजरात सरकार को पंचायत-चुनाव अनिश्चित काल

73वें संविधान संशोधन में पंचायतों की अवधि संबंधी व्यवस्था

1992 के 73वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में 'पंचायतें' शीर्षक के अंतर्गत भाग 9 जोड़ा गया है। इस संशोधन के मुताबिक संविधान में 243 वीं धारा जोड़ी गई और 280 वीं धारा में संशोधन किया गया तथा 11वीं अनुसूची प्रस्तुत की गई। इस संविधान संशोधन में धारा 243-ई के अधीन पंचायतों की अवधि संबंधी व्यवस्था इस प्रकार है:

धारा-243(ई)

1. प्रत्येक पंचायत अगर लागू कानून के अधीन अवधि से पहले ही बर्खास्त न की जाए तो उसकी अवधि प्रथम सभा की तिथि से पाँच वर्षों की रहेगी, इससे अधिक नहीं।
2. यदि उस समय लागू कानून में संशोधन करके खंड (1) में निर्दिष्ट समय के पूरा होने से पहले किसी भी स्तर की पंचायत अथवा यदि ऐसे संशोधन पहले चालू हों, तो उसे ऐसी अवधि से पहले बर्खास्त नहीं किया जा सकता।
3. किसी भी पंचायत का गठन करने हेतु चुनाव
   क. खंड (1) में निर्दिष्ट समय पूरा होने से पहले किया जाए।
   ख. पंचायत बर्खास्त हो तो इस तिथि से छह माह का समय पूरा होने से पहले करा लिया जाए।

   परंतु जब शेष समयावधि अथवा जितने समय तक यह बर्खास्त पंचायत चालू रही, वह छह माह से भी कम समय हो तो ऐसी पंचायत का उतने समय के लिए गठन करने हेतु इस खंड के तहत कोई चुनाव करवाना जरूरी नहीं होगा।
4. कार्यकाल पूरा होने से पहले बर्खास्त की गई पंचायत के स्थान पर गठित पंचायत- यदि उसे बर्खास्त न किया गया हो तो खंड (1) के तहत यह पंचायत जितने समय अस्तित्व में रही उतने समय तक ही चालू रहेगी।

तक स्थगित रखने के अमर्यादित अधिकार मिल गए हैं। इसी सार्वजनिक सूचना में राज्य और पंचायतों के प्रशासन-तंत्र को अकाल से निबटने के लिए तैयार रहने की जरूरत पर बल दिया गया है। लेकिन जब पंचायतें ही न हों तो अकाल का सामना किस तरह किया जाए? इस प्रकार इस विज्ञापन में ही विरोधाभासी बातें हैं।

फिर, एक तर्क सामान्य रूप से ऐसा भी दिया जाता है कि राज्य सरकार इस समय ग्राम पंचायतों के चुनाव के लिए खर्च करती है, जो उचित नहीं है। इसके बजाय यह खर्च सरकार अकालग्रस्तों को राहत देने के लिए करे तो वह ज्यादा उचित होगा। चुनाव महत्त्वपूर्ण हैं या राहत? यह तर्क तत्काल गले उतरने जैसा है। लेकिन विकासोन्मुखी योजनाओं की जो राशि ग्राम पंचायतों के पास आएगी और जो व्यय होगी वह चुनावों के खर्च से बहुत ज्यादा होगी। अतः चुनाव का खर्च कोई मुद्दा नहीं है। वास्तव में चुनाव न होने से ग्राम पंचायतों और ग्रामीण जनता को ज्यादा आर्थिक नुकसान होगा। इसके अलावा, राज्य सरकार ने पंचायत, ग्राम-गृह निर्माण एवं ग्रामीण ऋण के 2000-2001 के बजट में जिले, तहसील एवं ग्राम-पंचायतों के चुनाव के लिए 36.13 करोड़ रु. के खर्च को व्यवस्था की है। तब यह कैसे कहा जा सकता है कि सरकार के पास चुनाव का खर्च नहीं है। लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए खर्च तो करना ही पड़ेगा। फिर तहसील और जिला पंचायतों के चुनाव तो हो चुके हैं। ऐसे में ग्राम-पंचायतों मे चुनावों के लिए अब बहुत कम खर्चे की जरूरत पड़ेगी।

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने एक अध्यादेश जारी करके पंचायतों के चुनावों को अक्टूबर-2000 तक स्थगित रखा था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस अध्यादेश को रद्द करते हुए फैसला दिया था। इस फैसले के विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में अर्जी पेश की। अर्जी में उसने बताया कि पंचायतों की सीमा निर्धारित करने का काम पूरा न होने की वजह से चुनाव आयोजित कर पाना संभव नहीं। मई-2000 में चुनाव होने थे, राज्य सरकार

गुजरात पंचायत अधिनियम 1993 में पंचायत की अवधि

73वें संविधान संशोधन के बाद गुजरात का 1961 पंचायत अधिनियम रद्द कर दिया गया और 1993 में नया पंचायत अधिनियम बनाया गया। इस अधिनियम में धारा-13 और धारा-257 में पंचायत की अवधि के बारे में जो व्यवस्था की गई है, वह इस प्रकार है:

धारा-13

1. प्रत्येक पंचायत इस अधिनियम के तहत इसका पहले विसर्जन किया गया हो तो उसके सिवाय पहली बैठक की निर्धारित तिथि से पाँच वर्षों तक चालू रहेगी, उससे अधिक नहीं।
2. पंचायत के गठन हेतु चुनाव

क. उप धारा (1) में निर्दिष्ट की गई अवधि पूरी होने से पहले हो।

ख. उसके विसर्जन की तिथि से छह माह की अवधि पूरी हो, उससे पहले पूरे करने चाहिए।

3. पंचायत की अवधि पूरी होने से पहले उसका विसर्जन होने पर गठित पंचायत जिस अवधि हेतु विसर्जित पंचायत का इस तरह विसर्जन न हुआ हो, तो उप धारा (1) के अंतर्गत चालू रहने जितनी शेष अवधि के लिए ही चालू रहेगी।

धारा-257

1. पंचायत की अवधि पूरी होने के तक उसका पुनर्गठन करना हो, उसके संबंध में राज्य सरकार को ऐसा भरोसा हो जाए कि किसी प्राकृतिक आपदा के कारण पंचायत का पुनर्गठन करने के लिए पूर्वोक्त अवधि पूरी होने से पहले चुनाव करने संभव नहीं, तो इस अधिनियम में अथवा इसके अंतर्गत किए गए नियमों में चाहे जो हकीकत हो, राज्य सरकार राजपत्र में विज्ञापन द्वारा उस संबंध में घोषणा कर सकेगी।
2. पंचायत के संबंध में उपधारा (1) के अंतर्गत प्रसारित कोई घोषणापत्र उसमें निर्दिष्ट पंचायत की अवधि पूरी होने की तिथि से तीन माह तक लागू रहेगा।
3. उप धारा (1) के अंतर्गत घोषणापत्र जारी होने पर पंचायत के समस्त अधिकार व दायित्व, जिस अवधि तक घोषणापत्र लागू रहेगा उस अवधि तक राज्य सरकार द्वारा लिखित आदेश में निर्दिष्ट अधिकारी वहन करेंगे।

टिप्पणी: राज्य सरकार ने अध्यादेश जारी करके 4.11.2000 को असाधारण राजपत्र द्वारा धारा-257(2) को रद्द कर दिया है।

यह जानती थी, फिर भी उसने पंचायतों की सीमा-निर्धारित करने का काम पूरा नहीं किया। उच्च न्यायालय के फैसले के बाद तत्काल वहाँ के (उत्तर प्रदेश के) चुनाव-आयोग ने चुनाव की तिथियों की घोषणा कर दी थी।

परन्तु सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग से यह कहा कि राज्य के चुनाव आयोग को ऐसी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि 'चुनाव आयोग यह दिखाना चाहता है कि वह दूसरों की अपेक्षा स्वायत्त है, और भूल जाता है कि वह एक संस्था है।' जब उत्तर प्रदेश के राज्य चुनाव आयुक्त ने यह तर्क दिया कि संविधान की धारा 243(ई) के अनुसार पाँच वर्षों की अवधि पूरी हो जाने पर पंचायतों के चुनाव होने चाहिए, यदि न हों तो संविधान की व्यवस्था का उल्लंघन होता है। इस पर सर्वोच्च अदालत ने यों कहा कि 'चुनाव आयोग को जरा धीरज रखते हुए इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि अन्य राज्यों में तो 10 वर्षों से भी ज्यादा समय बीत जाने पर चुनाव नहीं हुए।'

यद्यपि, बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसा फैसला दिया कि 14 से 24 जून, 2000 के दौरान पंचायत-चुनाव आयोजित किए जाएँ। तदनुसार चुनावों का आयोजन भी किया। यहाँ महत्त्वपूर्ण मुद्दा यह है कि चुनाव आयोग उच्च न्यायालय में गया, उससे पंचायत चुनाव अक्टूबर-2000 तक स्थगित नहीं रह पाए वरन् उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को जून-2000 तक में आयोजित करने पड़े । यहाँ पंचायतों के मतदान-क्षेत्र की सीमा तय करने का मुद्दा था और वह प्राकृतिक आपदा का मुद्दा नहीं था, यह सच है, परंतु चुनाव आयोग की सक्रियता की वजह से चुनाव हो सके, यह बात

गुजरात में पंचायतें और प्राकृतिक विपदा

गुजरात पंचायत अधिनियम-1993 में पंचायतों और प्राकृतिक विपत्ति के बारे में की गई व्यवस्थाएँ निम्न प्रकार से हैं:

ग्राम पंचायत

धारा 99 के मुताबिक ग्राम पंचायतों को 106 काम सौंपे गए हैं। इन कामों में बहुत सारे काम ऐसे हैं कि जो सीधे-सीधे कृषि, पशुपालन व जलापूर्ति से जुड़े हुए हैं। अभाव की परिस्थिति में तो ये काम अत्यधिक महत्व के हैं। इस संदर्भ में निम्न दायित्वों का उल्लेख किया गया है:

1. अपंग, अकिंचन व रुग्ण मनुष्यों को मदद देना।
2. कोई भी प्राकृतिक विपत्ति आ जाए तो संकटग्रस्त लोगों की मदद करना।
3. तालाब व कुएँ बनवाना एवं साफ करवाना।
4. वर्तमान जल आपूर्ति अपर्याप्त अथवा रोगग्रस्त होने के कारण ग्रामवासियों के स्वास्थ्य को नुकसान से बचाने हेतु उचित एवं पर्याप्त जलापूर्ति अथवा वाजिब व्यय पर मिल सके तो अधिक आपूर्ति की व्यवस्था करना।
5. अकाल अथवा अभाव के समय निःसहाय लोगों की सहायता करना और सहायता के काम शुरू करना व उनका निर्वहन करना।

तहसील पंचायत

धारा-130 के मुताबिक तहसील पंचायत के कुल 86 दायित्व दर्शाए गए हैं। प्राकृतिक विपत्तियों संबंधी कतिपय दायित्व निम्न हैं:

1. पेय जल की व्यवस्था करना।
2. सिंचाई हेतु बांध कार्य एवं रख-रखाव।
3. कुओं की मरम्मत व नये बनाना, निजी तालाबों की मरम्मत व खुदाई करके तथा सिंचाई काम शुरू करके पानी देने वाली नहरों की देखरेख करके सिंचाई के लिए अधिकाधिक भूमि को उसके अंतर्गत लाना।
4. सिंचाई योजनाओं की नहरों के पानी का यथासमय और समुचित वितरण हो, उसका पूरा उपयोग करने का प्रबंध करना।
5. बाढ़, आग, महामारी व अन्य छोटी-बड़ी प्राकृतिक विपत्तियों के अवसर पर तत्काल सहायता पहुँचाना।

जिला पंचायत

धारा-154 के अंतर्गत जिला पंचायत को कुल 73 दायित्व सौंपे गए हैं। अभाव के संदर्भ में इनमें उपयोगी दायित्व निम्न प्रकार से हैं:

1. पेय जल की आपूर्ति का प्रबंध करना व बनाये रखना।
2. सिंचाई हेतु नए कुओं की खुदाई और पुरानों की मरम्मत।
3. तालाबों व कुओं से नहर द्वारा सिंचाई।
4. अकाल और अभाव, रेल, आग व भूकंप जैसी प्राकृतिक विपत्तियों के प्रसंग में सहायता केन्द्र स्थापित करना व चलाना।

महत्त्व रखती है।

आंध्र प्रदेश

आंध्र प्रदेश में मंडल और जिला पंचायतों की समय सीमा मार्च-2000 तक पूरी होने वाली थी। इसलिए राज्य सरकार ने फरवरी-2000 में अध्यादेश जारी किया और उन चुनावों को स्थगित कर दिया। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार का तर्क था कि संसद में 87वाँ संविधान संशोधन आ रहा है, इससे यदि अभी पंचायत-चुनाव कराये जाते हैं तो भी फिर से चुनाव कराने पड़ेंगे। कारण यह, कि इस संविधान संशोधन में सीधे चुनावों को वैकल्पिक बनाया जा रहा है।

राज्य के चुनाव आयोग ने इस अध्यादेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी। उच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग की अर्जी को स्वीकार करते हुए 30 जून, 2000 तक चुनाव कराने हेतु आदेश दिया। तब राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील की। शुरूआत में सर्वोच्च आदालत ने राज्य सरकार के निर्णय को बहाल रखा। आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार ने यह दलील दी थी कि राज्य चुनाव आयोग को पंचायत चुनाव आयोजित करने के लिए उच्च न्यायालय में जाने का कोई अधिकार नहीं है और सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस दलील को स्वीकार किया था। परंतु अंत में सर्वोच्च न्यायालय ने आंध्र प्रदेश की सरकार को 31.3.2001 तक पंचायत चुनाव आयोजित करने हेतु आदेश दिया है।

इस तरह, अंत में आंध्र प्रदेश में राज्य चुनाव आयोग के सक्रिय हस्तक्षेप से मंडल व जिला पंचायतों के चुनाव आयोजित किए जाएंगे। 87वाँ संविधान संशोधन अभी संसद में विचाराधीन है, पारित नहीं हुआ। यह कब पारित होगा, यह कहा नहीं जा सकता। लेकिन इस बहाने से आंध्र प्रदेश सरकार ने पंचायत चुनाव स्थगित करने का कदम उठाया, यह एक वास्तविकता है।

कर्नाटक

कर्नाटक में राज्य चुनाव आयुक्त द्वारा पंचायती चुनावों की घोषणा जारी कर दिए जाने तथा पंचायतों के मत विस्तार की सीमा-निर्धारण का घोषणापत्र जारी करने के बाद राज्य सरकार ने चुनावों को रद्द किये जाने संबंधी अध्यादेश जारी किया। इस प्रकार चुनावों की प्रक्रिया शुरू करने के बाद चुनाव रद्द करने के लिए पंचायत चुनाव स्थगित किए थे। राज्य सरकार के अध्यादेश के विरुद्ध सार्वजनिक हित की दो अर्जियाँ उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गई। दिनांक 17.3.1999 को प्रस्तुत अर्जियों का फैसला देते हुए उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि पंचायतों के चुनाव किसी भी तरह छह सप्ताह में सम्पन्न किए जाएँ। इस प्रतिमानकारी फैसले के महत्त्वपूर्ण मुद्दे निम्न प्रकार से हैं:

1. संविधान में राज्य की कार्यसूची में पाँचवें क्रम पर स्थानीय स्वशासी संस्थाओं संबंधी सत्ता राज्यों की विधान सभाओं को प्रदान की गई है। परंतु 73 वें संविधान संशोधन के बाद अब यह सत्ता उनके पास नहीं रहेगी।
2. संविधान की धारा-243(ई) के अनुसार पंचायतों की अवधि पाँच वर्ष की है। उनका विसर्जन किया जा सकता है पर अवधि को लंबा नहीं किया जा सकता। अवधि समाप्त होने से पहले या विसर्जन से छह माह की अवधि में चुनाव होने चाहिए। चुनाव संपादित करने का काम पूरी तरह से राज्य चुनाव आयोग के हाथ में है। राज्य चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है।
3. सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 12.8.1997 के फैसले में कहा कि बाढ़, भूकंप आदि प्राकृतिक विपत्तियों के अलावा राज्यों को पंचायत चुनाव स्थगित करने की मंजूरी नहीं दी जा सकती। इस तरह, सर्वोच्च न्यायालय की सूचना के मुताबिक पाँच वर्ष

'पंचायत बचाओ, प्रजातंत्र बचाओ' आंदोलन का संक्षिप्त इतिहास

	तिथि	क्या हुआ था
1.	2 नवंबर, 2000	9000 ग्राम पंचायतों के चुनावों को स्थगित करने के लिए आने वाले अध्यादेश के अग्रिम संकेत मिलते ही 'उन्नति' ने तत्काल कई स्वैच्छिक संस्थाओं यथा - महिला स्वराज अभियान, गुजरात बिरादरी, गुजरात विद्यापीठ, असाग तथा पश्चिम भारत पंचायती राज मंच के कार्यकर्ताओं की बैठक आमंत्रित की। राज्य के मुख्य मंत्री, पंचायत मंत्री एवं राज्य चुनाव आयोग को पंचायती चुनाव स्थगित न करने हेतु बैठक ने प्रार्थनापत्र लिखने का प्रस्ताव पारित किया।
2.	3 नवंबर, 2000	सरकार ने 9000 से अधिक पंचायतों के चुनाव स्थगित करने का निर्णय लिया।
3.	4 नवंबर, 2000	पंचायत अधिनियम की धारा 257(2) को रद्द करने का राज्य सरकार ने अध्यादेश जारी किया।
4.	4 नवंबर, 2000	मुख्य मंत्री से मिलने 'उन्नति' की तृप्ति जैन और 'असाग' के राजेश भट्ट गांधीनगर गए। सम्पर्क न होने पर वे राज्य के चुनाव आयोग से मिले। यह बताया गया कि अध्यादेश जारी हो जाने पर अब चुनाव आयोग की कोई भूमिका नहीं रह जाती।
5.	10 नवंबर, 2000	परिस्थिति की समीक्षा एवं भविष्य में उठाये जाने वाले कदम तय करने के लिए 'उन्नति'ने स्वैच्छिक संस्थाओं की बैठक आमंत्रित की। उसमें 13 जिलों की 25 संस्थाओं के 35 कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। बैठक में निम्न कदम उठाये जाने का निर्णय लिया गया: 1. लोग पंचायतों के चुनाव चाहते हैं या नहीं इसका सहयोगी संस्थाओं के द्वारा द्रुत सर्वेक्षण कराया जाए। 2. सर्वेक्षण के परिणामों से मुख्यमंत्री को अवगत कराने की कोशिश जाए। 3. चुनाव तत्काल कराने के लिए नागरिकों के पत्र-अभियान एवं हस्ताक्षर अभियान चलाये जाएँ। 4. इस आंदोलन का नाम 'पंचायत बचाओ, प्रजातंत्र बचाओ' रखा जाए। 5. 'उन्नति' के नेतृत्व में 6 सदस्यों की क्रियान्वयन समिति नियुक्त की गई।
6.	10 नवंबर से 5 नवंबर 2000	इस समयावधि के दौरान 8 तहसीलों में द्रुत सर्वेक्षण द्वारा 1529 मतदाताओं का मंतव्य ज्ञात किया गया। 92 प्रतिशत मतदाता पंचायत के चुनाव चाहते थे। केवल 8 प्रतिशत मतदाताओं ने ही चुनाव की जरूरत नहीं है, ऐसा मंतव्य प्रदान किया।
7.	16 नवंबर, 2000	1. क्रियान्वयन समिति के दो सदस्यों तृप्ति जैन (उन्नति) एवं मनोज चौहान (महिला स्वराज अभियान) मुख्य मंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री पी.के. लहेरी से मिले और उन्हें बताया कि 90 प्रतिशत मतदाता चुनाव के पक्ष में हैं। दिसंबर माह में अकाल राहत कार्य न चलने से पंचायत चुनाव निर्विघ्न सम्पन्न हो सकते हैं, चुनाव को स्थगित रखना असंवैधानिक है, अतः तत्काल चुनाव करवाए जाएँ। श्री लहेरी ने बताया कि वे यह बात केबिनेट मंत्रियों सर्वश्री वजुभाई वाळा और सुरेशभाई को खुद पहुँचा देंगे। 2. पंचायत चुनाव तत्काल कराने की मांग वाले पत्रों पर 27723 नागरिकों के हस्ताक्षर करवाए गए थे। 37 संस्थाओं ने 14 जिलों के 2134 गाँवों में घूम-फिर कर यह काम पूरा किया था।
8.	4 दिसंबर, 2000	क्रियान्वयन समिति 'उन्नति' के कार्यालय में मिली थी और श्री पी.के. लहेरी और राज्य चुनाव आयोग को इस बारे में पत्र लिखकर भेजा गया था। नागरिकों के सांवैधानिक अधिकारों को भंग करने के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने के लिए कई विधिवेत्ताओं से सम्पर्क स्थापित किया गया था।
9.	2 जनवरी, 2001	स्वयं चुनाव आयोग राज्य सरकार के विरुद्ध कानूनी कदम उठाये, इसके लिए चुनाव आयुक्त से रूबरू मिलकर निवेदन किया गया। उन्हें एक प्रार्थना-पत्र भी दिया गया।

की अवधि पूरी होने से पहले पंचायतों के चुनाव हो जाने चाहिए।

4. चुनाव आयोग ने चुनाव की तैयारी और घोषणा पत्र जारी करने संबंधी कदम उठा लिये हैं। प्रत्येक पंचायत की सीमा तय करने संबंधी घोषणापत्र भी जारी कर दिया गया है। इससे यह नहीं कहा जा सकता कि समय-पत्रक जारी करने के बाद ही चुनाव की प्रक्रिया शुरू होती है। अर्थात् एक बार चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाने के पश्चात् चुनाव को स्थगित नहीं किया जा सकता।
5. संविधान की धारा-243 (ई) के अनुसार चुनी हुई पंचायत की अवधि ज्यादा से ज्यादा पाँच वर्ष की है, इससे अधिक नहीं। अर्थात् पाँच वर्ष की अवधि पूरी होने से पहले चुनाव होना ही चाहिए। अर्थात् राज्य की विधानसभा का कोई भी कानून यदि इस व्यवस्था का उल्लंघन करे तो वह निरर्थक होगा और उसकी उपेक्षा ही की जानी चाहिए। संविधान सर्वोच्च है और विधानसभा को भारत के संविधान की व्यवस्थाओं के अनुसार ही कानून बनाने पड़ते हैं।

कर्नाटक में मार्च-अप्रैल, 1999 में पंचायत के चुनाव होने थे पर उसे रद्द करने वाला अध्यादेश राज्य सरकार ने जारी कर दिया था। इसके लिए उसे कर्नाटक पंचायत राज अधिनियम की धारा-4 और धारा-5 में सुधार किया था लेकिन यह सुधार उच्च न्यायालय के फैसले से रद्द कर दिया गया था और पंचायत के चुनाव नियत समय पर आयोजित हुए थे।

गुजरात में लोगों की प्रतिक्रिया

गुजरात में 8000 से अधिक ग्राम पंचायतों के चुनाव स्थगित रखने के विरुद्ध बवंडर उठा था। 'उन्नति' के तत्वावधान में अहमदाबाद में दि.10.11.2000 के दिन पंचायत क्षेत्र में काम करने वाली स्वैच्छिक संस्थाओं के कार्यकर्ताओं की बैठक हुई थी। बैठक में उन्होंने ग्राम पंचायतों के चुनाव स्थगति रखने के विरुद्ध विरोध प्रकट किया था और जन भावना को अभिव्यक्त करने का निर्णय लिया था।

इस निर्णय के अनुसार आठ स्वैच्छिक संस्थाओं ने सर्वे का काम तत्काल हाथ में लिया था। बड़ौदा, वडाली, विरमगाम, कोडीनार, उना, खेड़ब्रह्मा, अमरेली और द्वारका की स्वैच्छिक संस्थाओं ने 1929 नागरिकों से सम्पर्क किया, जिनमें से 1408 लोगों ने अर्थात् 92 प्रतिशत लोगों ने चुनाव आयोजित करने का समर्थन किया था। सर्वेक्षण में 885 पुरुषों से साक्षात्कार किया गया, इनमें 797 पुरुषों ने ग्राम पंचायत के चुनाव आयोजित करने का पक्ष लिया था। जबकि 644 महिलाओं में से 18 ने यह कहा कि चुनाव होने चाहिए।

दिसंबर-2000 के प्रथम सप्ताह में ग्राम पंचायतों के चुनाव किए जाने थे परंतु सरकार ने अकाल का बहाना करके उसे स्थगित कर दिया था। परंतु सर्वेक्षण में अधिकांश लोगों ने चुनाव आयोजित करने का अच्छा से अच्छा समय दिसंबर माह बताया।

इसके अलावा 'पंचायत बचाओ, प्रजातंत्र बचाओ' अभियान हाथ में लिया गया था। गुजरात के मुख्य मंत्री को संबोधित करते हुए उक्त शीर्षक के अंतर्गत एक पत्र लिखकर 2134 गाँवों में से 27,723 नागरिकों ने ग्राम पंचायतों के चुनाव तत्काल कराये जाने की विनती की थी। दिसंबर-2000 के दरमियान ऐसे 3007 पत्र लिखे गए थे। साबरकांठा, अहमदाबाद, पंचमहाल, खेड़ा, सूरत, जूनागढ, ध्रांगध्रा, बनासकांठा, गाँधीनगर, अमरेली, भरूच, बड़ौदा, डांग और जामनगर - इन 14 जिलों से मुख्य मंत्री कार्यालय में पत्र पहुँचे थे। सूरत, साबरकांठा और अहमदाबाद जिलों से सर्वाधिक नागरिकों ने इस पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। इस अभियान में गुजरात की 37 स्वैच्छिक संस्थाओं ने सक्रिय रुचि ली थी और लोगों में जाग्रति लाने का प्रयास किया था।

इसके अतिरिक्त स्वैच्छिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने गुजरात के अतिरिक्त मुख्य सचिव और राज्य के मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलकर ग्राम पंचायतों के चुनावों को स्थगित किए जाने के विरुद्ध विरोध प्रकट किया था। गुजरात के मुख्य चुनाव आयुक्त से मांग की गई तथा लिखकर आवेदन पत्र भी दिया गया कि गुजरात का चुनाव आयोग राज्य सरकार के चुनाव स्थगित करने के निर्णय के समक्ष मूक दर्शक बन कर न रहे वरन् अन्य राज्यों के चुनाव आयोग की भाँति न्यायालय में राज्य सरकार के निर्णय को चुनौती दे।

कानूनी दृष्टि से क्या हो सकता है?

1. संविधान की धारा-355 और 356 केन्द्र सरकार को यह देखने का अधिकार देती है कि प्रत्येक राज्य सरकार संविधान की व्यवस्थाओं के अनुसार व्यवहार करे। अगर संविधान की व्यवस्था के मुताबिक पंचायतों के चुनाव नहीं कराये जाते हैं तो यह स्पष्ट दर्शाता है कि राज्य सरकारें संविधान का उल्लंघन कर रही हैं। बाबजूद इसके केन्द्र सरकार ने अभी तक एक भी राज्य सरकार को इन दो अधिनियमओं के अनुसार पंचायतों के चुनाव आयोजित न करने के लिए चेतावनी नहीं दी। संविधान के उल्लंघन के कारण राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करने की व्यवस्था संविधान में धारा-356 के अंतर्गत दी गई है। परंतु केन्द्र सरकार पंचायतों के मामले में राज्य सरकारों की बर्खास्तगी मुनासिब नहीं समझती। केन्द्र सरकार द्वारा संविधान में उसे दिए गए अधिकारों का उपयोग करके स्थानीय स्तर के लोकतंत्र के समक्ष खड़े खतरे को टालना जरूरी है।
2. राज्यों की पंचायत की अधिनियमओं में यदि 73वें संविधान

पंचायत बचाओ... प्रजातंत्र बचाओ...

माननीय मुख्य मंत्रीजी,
गुजरात राज्य, गांधीनगर

विषयः ग्राम पंचायतों के चुनाव दिसंबर - 2000 से पूर्व करें।

ग्राम पंचायतों के चुनाव स्थगित करने का जो अध्यादेश आपकी सरकार ने 4 नवंबर, 2000 को जारी किया है, हम उसका सख़्त विरोध करते हैं क्योंकि उससे स्थानीय स्तर पर स्वशासन का हमारा संवैधानिक अधिकार भंग होता है।

आज तक गुजरात में पंचायत के चुनाव नियमित रूप से आयोजित होते रहे हैं, जबकि आपके द्वारा जारी किया गया अध्यादेश गुजरात के पंचायती राज इतिहास के लिए कलंक है।

हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि विकट अकाल की दशा होते हुए भी 1975 के मई माह में गुजरात विधानसभा चुनाव आयोजित किए गए थे।

हम जानते हैं कि गुजरात में अकाल और अभाव की परिस्थिति गंभीर है, पर हमारा ऐसा दृढ़ विश्वास है कि इस स्थिति का सामना करने के लिए चुनी हुई पंचायतें अधिक सक्षम हैं।

अतः हम आपसे दिसंबर-2000 के अंत तक ग्राम पंचायतों के चुनाव आयोजित करने का निवेदन करते हैं।

प्रेषकः
ग्रामः के नागरिक
तहसीलः
जिलाः
पिनकोडः

क्रम	नाम	हस्ताक्षर
1.		
2.		
3.		

संशोधन में पंचायतों की अवधि संबंधी व्यवस्थाओं के विरुद्ध व्यवस्थाएँ हों तो उनको रद्द किया जाए क्योंकि वे संविधान के स्वरूप एवं भावना के विरुद्ध हैं। केन्द्र सरकार संसद के द्वारा इस मामले में संविधान संशोधन करना चाहती है, ऐसा केन्द्रीय ग्राम विकास मंत्री ने बताया। ऐसा संविधान संशोधन तत्काल करना चाहिए।

4. विधान सभा और संसद में सभी सीटों के चुनाव एक साथ किए जाते हैं। इसी भाँति सभी स्तर की, सभी पंचायतों की, सभी सीटों के चुनाव एक साथ कराये जाने चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि राज्य चुनाव आयुक्त के पास वांछित आर्थिक एवं भौतिक संसाधन विद्यमान हों। ऐसा होने से वित्तीय व्यय बचेगा और समय व शक्ति का भी बचाव होगा तथा मतदाताओं को भी बार-बार के चुनावों से ऊब नहीं होगी।

स्थानीय स्तर पर क्या हो सकता है?

सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण मुद्दा है लोगों की जाग्रति का। आज ऐसी मानसिकता बन गई है कि चुने हुए प्रतिनिधि काम में अधिकारियों जितने होशियार नहीं होते। परंतु अगर लोकतंत्र को बचाना है तो इस मानसिकता को तत्काल छोड़ना होगा। अधिकारीगण नागरिकों के प्रति सीधे-सीधे जवाबदेह नहीं होते। चुने हुए प्रतिनिधि ही नागरिकों के प्रति सीधे उत्तरदायी होते हैं। नागरिक उनसे ही जवाब मांग सकते हैं। फिर, कार्य-क्षमता तो राजकीय इच्छाशक्ति से जन्म लेती है, यह अपने आप पकने वाला फल नहीं है। अतः किसी भी स्तर पर लोकतंत्र का गला घोंटने की कोशिश हो रही हो तो नागरिकों और उनके समूहों को सक्रिय होने की जरूरत है। नागरिक समाज का कर्तव्य है कि अपनी असहमति की आवाज उठायें। ग्राम-पंचायतों को स्थगित करने के विरुद्ध नागरिकों और उनके समूहों को अभियान चलाना चाहिए। वे मुख्य मंत्री, राज्यपाल, पंचायत-प्रधान इत्यादि को पत्र लिख कर, नागरिकों की सभाओं में ऐसे प्रस्ताव पारित करके, अखबारों में चर्चा पत्र व लेख लिखकर जागरूक नागरिक के रूप में अपनी भूमिका अदा करें, यह अत्यंत आवश्यक है।

संदर्भ

1. 'इन्स्टिट्यूट ऑफ सोश्यल सायन्सिस' द्वारा प्रकाशित 'अपडेट' के ई.स. 2000 के अंक।
2. गुजरात पंचायत अधिनियम - 1993

पृष्ठ 36 का शेष भाग

चरखा की गतिविधियाँ

- सामाजिक विकास के क्षेत्र में अपने प्रयासों के बारे में महिला कर्मचारियों हेतु एक लेख स्पर्धा आयोजित की गई थी। उसके विजेताओं को पारितोषिक प्रदान करने हेतु 13.12.2000 के दिन धोलका में म्युनिसिपल शाला के विद्यार्थियों की एक चित्र स्पर्धा आयोजित की गई थी। आकाशवाणी, अहमदाबाद की पूर्व निदेशक और प्रचार माध्यमों में महिलाओं की भूमिका में उल्लेखनीय योगदान देने वाली सुश्री वसुबेन भट्ट ने इस समारोह की अध्यक्षता की थी। 'प्रिया' के डॉ. राजेश टंडन ने 'नागरिक समाज के गठन में मीडिया की भूमिका' विषय पर व्याख्यान दिया था। 'विकास समर्थन केन्द्र' (डी.एस.सी.) के श्री अनिल शाह ने 'सहभागी सिंचाई' पर व्याख्यान दिया था।
- राज्य में पानी के संग्रह के बारे में स्थानीय स्तर पर किए गए प्रयास 'पानी' नामक पुस्तक में प्रकाशित किए गए हैं। उसमें विभिन्न कर्मचारियों ने 22 लेख लिखे हैं।
- इस तिमाही में स्वास्थ्य, पंचायत चुनाव की स्थगितता और पोशित्रा बंदरगाह के विरुद्ध जन संघर्ष के बारे में 10 लेख तैयार किए गए और वे विभिन्न अखबारों में छपे हैं।
- पंचायत चुनावों की स्थगितता के विरुद्ध जन-संघर्ष, दलितों पर अत्याचार, बाल मजदूरी, अकाल और विस्थापन आदि विषयों पर 10 संगठनों को मीडिया में प्रचार हेतु पूरी सहायता प्रदान की गई।

मूक क्रांति की झंकार

वाटरशेड योजना सहभागी विकास की एक उल्लेखनीय योजना है। इसे प्रारंभ हुए पाँच वर्ष पूरे हो चुके हैं। इसका यह मूल्यांकन परक लेख डेवलपमेंट सपोर्ट सेंटर के अध्यक्ष **श्री अनिल शाह** द्वारा लिखा गया है। यह लेख वाटरशेड योजना के क्रांतिकारी परिणामों पर प्रकाश डालता है।

अकाल, तंगी, यातना।
पेय जल के लिए, खेती के लिए।
अनाज।
पशुओं के लिए चारा।
रोजी रोटी के लिए दर-दर भटकना।
पलायन।

अपर्याप्त वर्षा और उसकी भी अनिश्चितता भोगने वाले अंचल युगों से पीड़ित हैं। पाँच वर्षों में दो वर्ष अकाल के, एक अच्छा, शेष ठीक-ठाक! राजाओं ने तालाब बनवाये, सेठों ने बावड़ियाँ बनवाई। अंग्रेज सरकार ने रक्षणात्मक सिंचाई के बांध बनवाए, नहरें निकालीं। अकाल के समय सरकार के द्वारा उठाये जाने वाले कदमों से नियम, मार्गदर्शिका तैयार की गई। बंगाल के 1943 के भयानक दुर्भिक्ष के बाद अन्न का उत्पादन बढ़ाने की योजनाएँ बनाई गईं।

स्वराज्य प्राप्ति के बाद यही सब बड़े पैमाने पर हुआ, परंतु अकाल संभावित क्षेत्रों को तो प्रायः वर्षा की किल्लत और अनिश्चितता का सामना करना जारी रहा। सरकार अकाल के वर्षों में लोगों को राहत पहुँचाने के लिए टैंकरों में पानी पहुँचाती है, पशुओं के लिए चारा पहुँचाती है, रोजी-रोटी के लिए सहायता के काम शुरू करती है। करोड़ों रुपये खर्च होते हैं। लोग बच जाते हैं, जी जाते हैं। जो पशु जीवित रह जाते हैं वे भी कमजोर, ताकतहीन होते हैं। पर्याप्त आयोजन बगैर और आवश्यक देखरेख के बिना अंधाधुंध शुरू किये गए राहत के काम, खासतौर से गाँव को जोड़ने वाले रास्ते और तालाबों की मेडों की मिट्टी पहली ही बरसात में धुल जाती है और कुछ वर्षों बाद उनमें खाली नाम-निशान ही शेष रह जाते हैं।

पृष्ठभूमि

1970 के दशक में ऐसी परिस्थिति का सामना करने के लिए भारत सरकार ने एक विशेष योजना बनाई - दुर्भिक्ष संभव क्षेत्र विकास कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.)। जिन तहसीलों में वर्षा कम और अनिश्चित होती हो, जहाँ स्थाई सिंचाई की क्षमता 30 प्रतिशत से भी कम हो, ऐसे क्षेत्रों को डी.पी.ए.पी. और जहाँ रेगिस्तान बढ़ रहा हो ऐसे इलाकों को रेगिस्तान विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.) तहसील के रूप में निश्चित किया गया। गुजरात में सौराष्ट्र, उत्तर गुजरात और कच्छ समेत ऐसी 99 तहसीलों में प्रति वर्ष 15 लाख रुपये खर्च करने की व्यवस्था की गई थी। उससे इन इलाकों को अकाल की परिस्थिति का सामना करने में सक्षम बनाने हेतु वनीकरण, गोचर सुधार, भूमि-संरक्षण, वर्षा के जल का संग्रह आदि कार्यक्रम शुरू करने की व्यवस्था की गई। यह काम 20 वर्षों तक चला। पर अकाल के आते ही यह जाहिर हो जाता है कि इन तहसीलों की क्षमता कितनी कम है?

पानी के टैंकर, पशु-बचाव एवं राहत के काम शुरू करने पड़ते हैं, भले ही कम मात्रा में यह क्यों होता है, इसका अध्ययन करके सुधार के लिए भारत सरकार के ग्राम-विकास मंत्रालय ने एक समिति का गठन किया। उसके अध्यक्ष थे विख्यात अर्थशास्त्री और योजना आयोग के पूर्व सदस्य डॉ. सी.एच. हनुमंतराव। समिति ने देश के अलग-अलग इलाकों में घूम-फिर कर देखा तो कुछ क्षेत्रों में अकाल का सामना करने की क्षमता की जानकारी मिली। विशेष रूप से रालेगन सिद्धि (महाराष्ट्र), मायराडा (कर्नाटक), आगा खान ग्राम समर्थन कार्यक्रम (गुजरात) और अन्य स्वैच्छिक संस्थाओं एवं कतिपय सरकारी संस्थाओं के काम से अकाल का सामना करने की क्षमता बढ़ी थी। समिति को पता

चला कि भूमि और जल संरक्षण कार्य देश में और विशेष रूप से मुम्बई के अंचलों में दशकों से चल रहा है। पर जिन इलाकों में समिति ने सफल काम देखा, वहाँ कई नए तत्व समिति के ध्यान में आए। भूमि, जल आदि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की योजना वाटरशेड के स्तर पर की गई। दूसरे, उसके आयोजन, क्रियान्वयन व संचालन में लोगों की सहभागिता, जन-भागीदारी व्यवस्थित व सुस्पष्ट रूप से थी। तीसरे, योजना का संचालन अलग-अलग विषयों के अनुसार अलग-अलग विभागों को नहीं सौंपा गया, यथा वन विभाग, सिंचाई विभाग इत्यादि। समग्र संस्था का एक सुगठित तंत्र था। हनुमंतराव समिति ने सिफारिश की कि अकाल के स्थायी प्रभाव को दूर करने के लिए ऐसा उपाय अपनाना चाहिए - लोक भागीदारी से वाटरशेड । भारत सरकार के ग्राम-विकास मंत्रालय ने इस समिति की सिफारिशों के आधार पर अक्टूबर 1994 में मार्गदर्शिका जारी की थी और अप्रैल 1995 से उसका क्रियान्वयन शुरू हुआ।

1952 के 2 अक्टूबर से शुरू हुई सामुदायिक ग्राम विकास योजना (कम्युनिटी डेवलपमेंट) के साथ स्वराज्य का संदेश ग्रामीण इलाकों में पहुंचा। 1960 के दशक में पंचायती राज आया। उसके बाद ग्राम विकास का काम अलग-अलग योजनाओं के माध्यम से कभी तेज तो कभी धीमे लेकिन कुल मिलाकर प्रयोगात्मक होने से चलता रहा। परंतु 1995 में जो सहभागी वाटरशेड की योजना शुरू हुई, उससे मानो देश के ग्रामीण इलाकों में एक मूक क्रांति फैल गई।

सहभागी वाटरशेड योजना के कुछेक विशिष्ट तत्व

- निर्धारित अकाल-संभावित और रेगिस्तान - प्रसार तहसीलों में इन योजनाओं का क्रियान्वयन होगा ।
- जल की कमी और अन्य दष्टिकोण से पिछड़े गाँवों का प्रथम चयन।
- चयनित गाँव के 500 हैक्टेयर में 5 वर्षों में 20 लाख रुपयों के खर्च की व्यवस्था।
- इस योजना के क्रियान्वयन के उत्तरदायित्व के लिए अनुभवी, योग्य संस्था का निश्चित स्तरानुसार चुनाव। स्वैच्छिक संस्था, सरकारी संस्था और अन्य संस्थाओं को भी यह दायित्व सौंपा जा सके। संचालक संस्था का काम लोगों को तैयार करना, संगठित करना, शिक्षित करना और यह देखना कि ग्राम स्तर पर योजना का ठीक-ठाक क्रियान्वयन हो।
- ग्राम स्तर पर पंजीकृत ग्राम विकास मंडल (वाटरशेड एसोशियेशन) की स्थापना।
- वाटरशेड एसोशियेशन स्वाश्रयी समूहों एवं उपभोक्ता समूहों के माध्यम से आयोजन और क्रियान्वयन करें। बहनों की भागीदारी पर विशेष ध्यान दें।
- भूमि, जल, वनस्पति, पशुओं के संरक्षण व वृद्धि हेतु सूचित उपायों (ट्रीटमैंट) में से ग्राम विकास मंडल को उचित लगने वाले उपायों को ध्यान में रखकर 500 हैक्टर भूमि में वाटरशेड का आयोजन।
- जिले स्तर पर जिला ग्राम विकास एजेंसी वाटरशेड के कार्यों हेतु ग्राम विकास मंडल को सीधे पैसा दे और शिक्षा, ग्राम संगठन एवं अन्य खर्चे के लिए संचालन संस्था को पैसा मिले।
- कुल खर्च का 75 प्रतिशत भारत सरकार दे और 25 प्रतिशत राज्य सरकार वहन करे।

भावनगर जिले के डेडकड़ी गाँव में (वाटरशेड) घासचारे की समस्या न थी। अतिरिक्त घासचारे को बेचा भी गया।

1995 में, गुजरात के 1300 गाँवों में 110 संस्थाओं के द्वारा जो वाटरशेड का काम शुरू हुआ, वह 2000 के वर्ष में पूरा होने आ रहा है। इस दरमियान प्रतिवर्ष ज्यादा से ज्यादा गाँवों में वाटरशेड योजना का क्रियान्वयन शुरू होता रहा है।

इस योजना के शुरू होने के बाद के पाँच वर्ष कुल मिलाकर

अच्छे वर्ष रहे। पाँच वर्षों के अंत में 1999-2000 में अकाल की परिस्थिति पैदा हुई तो इस योजना के परिणाम स्वरूप अकाल का सामना करने की जितनी क्षमता पैदा हुई, उसे देखने-पता लगाने का मौका मिला।

अध्ययन के निष्कर्ष

सौराष्ट्र, उत्तर गुजरात और कच्छ के जिले अकाल की परिस्थिति से गुजर रहे थे तब प्रत्येक जिले से दो-दो गाँवों को चुना गया। एक गाँव को वाटरशेड योजना का लाभ मिला, दूसरा पास का गाँव वाटरशेड योजना के लाभ से वंचित रहा। बरसात से पहले के मई-जून महीनों के अकाल की पराकाष्ठा के दिनों में इन 16 गाँवों में जाकर विकास सहायता केन्द्र के शोध अधिकारी ने लोगों से जो विवरण प्राप्त किया, उसके आधार पर यह चित्र उभरता हैः

1. पेय जलः वाटरशेड वाले 8 गाँवों में से एक गाँव को ही टैंकर से पानी पहुँचाने की जरूरत पड़ी। बिना वाटरशेड वाले 4 गाँवों में टैंकर से पानी भेजा जाता था।
2. खेतीः वाटरशेड वाले 8 में से 5 गाँवों में तो चौमासे की फसल ली ही जाती थी, उनमें रबी की फसल भी ली गई। दो गाँवों में फसल बेकार गई। बिना वाटरशेड वाले 8 गाँवों में से 5 गाँव चौमासे की फसल ही ले सके, उनमें एक गाँव रबी की फसल भी ले सके। दो गाँवों में फसल बेकार गई। वाटरशेड के तीन गाँवों में फसल के विस्तार और प्राप्ति में कोई कमी दर्ज नहीं हुई, जबकि बिना वाटरशॅड वाले 4 गाँवों में फसल की प्राप्ति 75 प्रतिशत कम हुई।
3. पशुओं के लिए चाराः वाटरशेड वाले 7 गाँवों में चारे की कमी थी, पर बहुत थोड़ी कमी थी। बिना वाटरशेड वाले 8 गाँवों में चारे की काफी तंगी थी। परिणामतः वाटरशेड वाले गाँवों में अधिकांश पशु बचा लिए गए, विशेष रूप से बैलों को। दूध उत्पादन चालू रहा।
4. रोजी-रोटीः वाटरशेड में 5 गाँवों में ठेठ मई-जून तक लोगों को रोजी-रोटी मिलती रही। बिना वाटरशेड वाले गाँवों में से सिर्फ दो में ऐसी अनुकूलता रही, दो गाँवों में रोजी की तंगी रही, जबकि चार गाँवों में रोजी मिलनी बंद हो गई। बिना वाटरशेड वाले 6 गाँवों में लोगों को रोजी-रोटी के लिए गाँव छोड़ना पड़ा, जबकि वाटशेड वाले सिर्फ 2 गाँवों के थोड़े-बहुत परिवार ही गाँव छोड़कर रोजी की तलाश में गए। वाटरशेड के 8 में से 4 गाँवों में राहत-काम शुरू करने की जरूरत अंत तक नहीं पड़ी, जबकि बाकी के 4 में चौमासे से पहले के तीन महीनों तक राहत-काम शुरू करना पड़ा। बिना वाटर-शेड वाले गाँवों में फरवरी 2000 से राहत-कार्यों के माध्यम से लोगों को रोजी देने की जरूरत उत्पन्न हुई।
5. अनाज उपलब्धिः वाटरशेड वाले 8 में से 6 गाँवों में अनाज के अभाव की शिकायत नहीं थी, जबकि बिना वाटरशेड वाले 7 गाँवों में अनाज की तंगी का प्रश्न गंभीर हो गया था। शेष गाँवों में अनाज का अभाव तीव्र बन गया था।
6. रहन-सहनः वाटरशेड का लाभ प्राप्त करने वाले 4 गाँवों में यह ध्यान में आया कि
   - मकानों की मरम्मत और नवनिर्माण कार्य जारी था।
   - स्थानीय सहकारी मंडल की लेनदारी सौ प्रतिशत वसूल हुई।
   - इन गाँवों में सभी हैंडपंप चालू रहे।
   - एक गाँव में तो उनके लायक ही पानी था, फिर भी पास के गाँव वाले भी वहाँ से पानी ले जाते थे।
   - वाटरशेड वाले गाँव के लोग रोज नहाते-धोते थे, उनके कपड़े और पोशाकें साफ दिखती थीं। पानी की तंगी अनुभव करने वाले, बिना वाटरशेड वाले गाँवों के लोग अपेक्षाकृत मैले-कुचैले दिखते थे।

1995 में शुरू हुई इस वाटरशेड योजना के अधीन सम्मिलित हाल के गाँवों में योजना के प्रभाव को लेकर अध्ययन करने के प्रयास किए गए। यह तो इस योजना का शुरूआती चरण है। स्वाभाविक रूप से इसमें कई कमियां हैं। विकास सहायता केन्द्र (डेवलपमैंट सपोर्ट सेन्टर) जिस तरह इस योजना को सहायता देने के लिए क्रियान्वयन संस्थाओं हेतु प्रशिक्षण आयोजित करता है, क्षेत्रीय सहायता देता है, योजना के स्वरूप एवं कार्य पद्धति में सुधार के लिए सक्रिय है, उसी तरह इस योजना की न्यूनताओं और कमियों का भी अध्ययन करता है।

परंतु ऐसी स्थिर होने के लिए संघर्ष करने वाली नयी योजना के

भी प्रत्यक्ष लाभों को देखते हुए, एक अध्ययन समिति ने जिसे भारत के ग्रामीण अंचल में 'मूक क्रांति' फैलाने वाली योजना माना है, उस वाटरशेड योजना का प्रभाव इस तरह अलंकृत हो रहा है कि अब इसे मूक नहीं माना जा सकता।

नीति विषयक निर्णय

- इस समय बिना योजना के अंधाधुंध किये जा रहे अकाल राहत के कामों के बदले यदि वाटरशेड के स्तर पर काम किए जाएँ तो ऐसे गाँवों को स्थायी लाभ प्राप्त होंगे। 1999-2000 के वर्ष में गुजरात सरकार ने अकाल-राहत के लिए 9429 गाँवों में 600 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। प्रति गाँव 6 लाख रुपया से ज्यादा होता है। राज्य सरकार का इसमें लगभग 25 प्रतिशत योगदान, अर्थात् चार वर्ष में चार लाख का और एक वर्ष में प्रति गाँव लगभग एक लाख का। अकाल की परिस्थिति का ध्यान आते ही वाटरशेड योजना की रीति से कार्यों का आयोजन किया जाए और लगभग एक लाख की राशि से ऐसे काम हाथ में लिए जाएँ जिसमें मजदूरी की मात्रा अधिक हो। जब ऐसे गाँवों में भारत सरकार की ओर से वाटरशेड योजना स्वीकृत हो तो राज्य सरकार को अपना हिस्सा नहीं देना होगा और लोग इस योजना के लिए तैयार भी हो जाएंगे। ऐसा आयोजन करने का अनुरोध डेवलपमेंट सपोर्ट सेंटर ने 1999 में गुजरात सरकार से किया था। अकाल की परिस्थिति चालू रहने एवं इसके अधिक खराब होने पर सितंबर 2000 में ऐसा अनुरोध फिर से किया गया।
- वाटरशेड योजना के आयोजन में पुरुष संचालक मुख्यतया पानी का विचार यह बात ध्यान में रखकर करते हैं कि खेती वाले कुओं में जल स्तर ऊँचा आए। इस ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता कि लोगों और पशुओं के लिए पेयजल का अभाव न रहे। वाटरशेड योजना में महिलाओं की भागीदारी जितनी ज्यादा सक्रिय होगी, उनकी आवाज जितनी अधिक बुलंद होगी, उतना ही पीने के पानी पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा।
- जिन गाँवों में प्रादेशिक योजना के अधीन पाइपलाइन द्वारा पानी दिया जाता है वहां भी ऐसा देखने में आया है कि अधिक निश्चित रूप से पानी सुलभ होता रहे, इस हेतु गाँव स्वावलंबी होना पसंद करते हैं। अतएव प्रादेशिक जलापूर्ति वाले गाँवों भी वाटरशेड योजना के अधीन स्थानीय तालाबों के काम हाथ में लेने जैसे हैं।
- ग्रामीण अर्थतंत्र में पशुओं का बड़ा महत्त्व है। परंतु चारे की वृद्धि और अकाल के वर्षों की आशंका को ध्यान में रखते हुए इसके संग्रह पर वांछित ध्यान नहीं दिया जाता।
- वाटरशेड योजना में जमीन, जल-संरक्षण और सार्वजनिक भूमि-सरकारी कृषि-अयोग्य भूमि या गोचर में वृक्ष, घास चारे के उत्पादन द्वारा और आमदनी बढ़ाने की क्षमता बढ़ाई जाती है। उसके बाद वस्तुतः उत्पादन और आमदनी बढ़ाने का काम स्थानीय लोगों को शक्ति-समझ पर छोड़ दिया जाता है। इसके बजाय अथवा इसके साथ ग्राम स्तर के समस्त प्राकृतिक संसाधनों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए यदि कृषि अनुसंधान, व्यवस्थित ऋण, कृषि सामग्री की आपूर्ति, फसल उत्पादन का अधिक लाभदायी बेचान आदि अनुसंधान किये जाएँ, तो वाटरशेड के प्रथम चरण में जो निवेश किया गया हो, उसका अधिक लाभ प्राप्त हो। इसे वाटरशेड प्लान कहा जाता है। देश में इस बारे में विविध स्तर पर चर्चा चल रही है कि इसे कैसे लागू किया जाए।
- इस अध्ययन का निष्कर्ष वाटरशेड योजना का प्रवर्धक व प्रसारक है। परंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि बड़े जलाशयों की जरूरत नहीं है। एक तो अकाल का यह एक वर्ष का अध्ययन है। लगातार एक के बाद एक अकाल के वर्ष आएं तो वाटरशेड और बिना वाटरशेड वाले गांवों में फर्क पता चले। दूसरे, पानी पर आधारित उद्योगों, महानगरों को पानी की जरूरत और लगातार अकाल के वर्षों में संकटग्रस्त इलाकों में पानी की जरूरत आदि के लिए विशाल जलाशयों पर निर्भरता रखनी होगी, ऐसी संभावना है। अतः इस अध्ययन से ऐसा निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा कि लघु जल-संग्रह-स्थल अच्छे हैं और विशाल जलाशय अच्छे नहीं हैं। कम से कम लगातार एक पर एक अकाल के वर्षों में वाटरशेड गाँवों पर कैसा प्रभाव होता है, यह जानने के लिए यह अध्ययन जारी रखना तय रहा है।

शिक्षण दलित बालिकाओं तक पहुँचा

महाराष्ट्र के कोल्हापुर में 'इन्स्टीट्यूट फॉर सोशियली डिस एडवांटेज्ड ग्रुप्स' द्वारा शहरी झोंपड़ पट्टी में दलित महिलाओं और बालिकाओं में शिक्षा के द्वारा सामाजिक परिवर्तन का काम किया जा रहा है। राजेंद्रनगर नामक झोंपड़पट्टी इलाके में इन्स्टीट्यूट पिछले बारह वर्षों से दलित बालिकाओं को प्राथमिक शिक्षा प्रदान कर रही है। इन्स्टीट्यूट के मानद निदेशक **श्री एम.वी. श्रीधर** ने इस लेख में उनके सामने आने वाली चुनौतियों और उनका समाधान करने हेतु किये जाने वाले प्रयासों के बारे में लिखा है।

प्रस्तावना

भारत की शिक्षा व्यवस्था की एक सर्वाधिक गंभीर कमी यह है कि वह सर्वाधिक गरीब बालिकाओं और वंचित बालकों और विशेष रूप से दलित बालिकाओं को शिक्षा प्रदान करने में असफल रही है। शालाओं में दलित बालकों के न आने को लेकर तरह-तरह के झूठे कारण दिए जाते हैं। प्रचार-प्रसार माध्यमों में ऐसी तस्वीर अंकित की जा रही है कि दलित बालक-बालिकाएँ अपनी गरीबी की वजह से विद्यालय नहीं जाते। परंतु गरीबी तो एक बहाना है। जिस गति से आर्थिक विकास हो रहा है और राष्ट्रीय आय में गरीबों का जितना योगदान है, उसे देखते हुए यही कहा जा सकता है कि देश में अभी लगभग एक सदी तक तो गरीबी दूर नहीं होने वाली। अतः सभी बालक-बालिकाओं को सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के ध्येय में असफलता के लिए राजनेता गरीबी के बहाने को जो मुख्य कारण बताते हैं, वह उचित नहीं।

इसी प्रकार वंचित वर्ग के बालक कुछ सीखने-पढ़ने के काबिल नहीं है, शिक्षकों की ऐसी नकारात्मक प्रवृत्ति भी इसमें महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। माना जाता है कि वे वंशानुगत दृष्टि से ही कमजोर हैं। अध्यापक अपने स्वार्थ के लिए भी वंचित बालकों के प्रति पूर्वाग्रह रखते हैं। वे अपने अनुत्तरदायित्व के लिए भी इन बालकों को ही उत्तरदायी मानते हैं। सम्पूर्ण समाज जिस ढंग से सामाजिक भेदभाव के शिकार बने लोगों को ही इसके लिए उत्तरदायी मानता है, वैसे ही अध्यापक भी मानते हैं।

हमने इन्स्टीट्यूट में अपने शैक्षणिक कार्यक्रम, अभ्यासक्रम और शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम की ही नयी डिजाइन तैयार की और दलित वर्ग भी बालिकाओं को प्रोत्साहन देने के लिए शिक्षण-कार्य में नया ही दर्शन विकसित किया है। हमारा अभिगम और अभ्यासक्रम ऐसा रहा है कि जिससे बालक विद्यालय में अपनी प्रगति प्रमाणित करें।

शिक्षा दर्शन

इन्स्टीट्यूट का यह शैक्षणिक कार्यक्रम तीन सिद्धांतों पर आधारित है:

1. कोई भी बालक ऐसा नहीं है कि कुछ भी न सीख सके।
2. संविधिक शिक्षा-व्यवस्था के लाभ वंचित वर्गों के बालक नहीं ले पाते तो इसका कारण यह है कि व्यवस्था में दोष है, अतः यह व्यवस्था बदली जानी चाहिए।
3. अगर सीखने को प्रक्रिया नहीं बन पाती तो इसका कारण बालक की कमी नहीं है। इन्स्टीट्यूट को अपने काम में जैसे-जैसे अनुभव होता गया, वैसे-वैसे उसने अपने शैक्षणिक कार्यक्रम की क्रियान्विति के दरमियान इन सिद्धांतों को विकसित किया है।

अवरोध

पहली कक्षा में प्रवेश के लिए जन्म-प्रमाणपत्र की अनिवार्यता होने के कारण बहुत सारे बालक विद्यालय से बाहर रह जाते हैं। बहुत सारे बालक अस्पताल के बजाय झोंपड़ों में जन्म लेते हैं, इस कारण उनकी जन्मतिथि का कोई प्रामाणिक उल्लेख नहीं होता। फिर शालाएं सिर्फ पहली कक्षा में ही प्रवेश देती हैं, उम्र के हिसाब से दूसरी या तीसरी कक्षा में प्रवेश नहीं देती। अतः यह एक बड़ा अवरोध बन जाता है।

यद्यपि 1990 में महाराष्ट्र सरकार ने एक आदेश जारी करके यह सूचित कर दिया है कि जन्म-प्रमाणपत्र या स्थानांतरण प्रमाणपत्र के बिना भी शाला में प्रवेश मिलेगा। लेकिन सरकारी और निजी प्राथमिक विद्यालय इन दोनों प्रमाणपत्रों का अब भी आग्रह रखते हैं। सरकार को अपने आदेश को क्रियान्वयन की कतई परवाह नहीं है। हमने जो शालाएँ खोली हैं उनमें ऐसे किन्हीं प्रमाणपत्रों या दस्तावेजों की जरूरत नहीं है शाला स्वयं स्थानांतरण प्रमाणपत्र हासिल करने का दायित्व वहन करती है।

एक अन्य महत्त्वपूर्ण अवरोध है शालाओं के समय-विभाजन को लेकर। महाराष्ट्र में प्राथमिक शालाएँ प्रातः 7.30 बजे शुरू होती हैं, अतः इस समय बालक अपने घर का काम पूरा करने के लिए घर पर ही रहते हैं। इस कारण हमने अपनी कक्षाओं का समय प्रातः काल 8.30 बजे रखा है। ग्रीष्मावकाश से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता क्योंकि कृषि उत्पादन की वह कोई ऋतु नहीं होती। वर्षा ऋतु की खेती के दरमियान गरीब परिवार अधिक व्यस्त होते हैं, उस समय अवकाश नहीं होता। इस वजह से बालक विद्यालय नहीं आते और विद्यालय उनके खिलाफ कार्यवाही करते हैं। हम किसी तरह की कार्यवाही नहीं करते। हम रोजाना पाँच से छह बजे तक ऐसे बालकों के लिए विशेष कक्षाएँ लगाते हैं। गर्मी में हम सिर्फ 15 दिनों का अवकाश रखते हैं और दिवाली में 10 दिनों का । पाँचवीं से सातवीं कक्षाओं के बालकों के लिए हम व्यावसायिक प्रशिक्षण की कक्षाएँ चलाते हैं। शिक्षकों के लिए उनमें उपस्थित रहना अनिवार्य है।

जो बालिकाएँ अपने छोटे भाई-बहनों को संभालने का काम करती हैं, वे प्राथमिक शिक्षा से वंचित रह जाती हैं। अतः हमारी इन्स्टीट्यूट की कक्षाओं में इन बालिकाओं को अपने भाई-बहनों को साथ लेकर आने की छूट दी गई है। इन छोटे बच्चों की शिशु-सदन में देखभाल होती है। इस प्रकार कक्षाओं के साथ ही शिशु-सदन जोड़ दिये गए हैं।

शिक्षा का खर्च एक बड़ा अवरोध है। सरकारी शालाओं में शिक्षण निःशुल्क है, पर उसका वैकल्पिक खर्च बहुत अधिक होता है। बालक अपने परिवार को जो सेवाएं देते हैं, वह पढ़ाई के समय जाने का बालकों का वैकल्पिक खर्च है। इसके अलावा परिवार को शाला-पोशाक, पुस्तकों, कापियों आदि का खर्च तो उठाना ही पड़ता है। अनेक परिवार यह खर्च वहन करने की स्थिति में नहीं होते, इस वजह से अपने बच्चों को विद्यालय नहीं भेजते। हमारी इन्स्टीट्यूट दलित बालिकाओं को पुस्तकें, कापियों और ऐसी तमाम विद्यालयी वस्तुएँ मुफ्त देती है। तीसरी कक्षा के बालक पुस्तकालय से भी पुस्तकें ले सकते हैं।

अध्यापकगण दलित बालकों की क्षमता के प्रति निम्न धारणा रखते हैं, यह भी एक नया ही अवरोध है। उनकी नकारात्मक सोच के कारण दलित बालक यों ही शाला से बाहर धकेल दिए जाते हैं। दलित बालक मध्यम वर्ग के बालकों की बजाय कुछ अलग तरह की मराठी भाषा बोलते हैं। इस भाषा को अध्यापक हल्का समझते हैं, गलत समझते हैं, बालकों का मजाक उड़ाते हैं और उनको दंडित करते हैं। इससे दलित बालकों को विद्यालय छोड़ कर चले जाने के लिए प्रोत्साहन मिलता है।

इसके अलावा, बालकों को शाला से जो गृहकार्य दिया जाता है, वह बहुत अधूरा होता है। लगभग अनपढ़ माता-पिता के लिए अपने बच्चों को गृहकार्य कराना मुश्किल होता है। इससे बालकों को गृहकार्य करना बहुत भार लगता है। घर का काम तो उनको

करना ही पड़ता है। इस वजह से दलित बालक अध्ययन में पीछे रह जाते हैं।

कार्यक्रम

इन्स्टीट्यूट ने उपर्युक्त अवरोधों को ध्यान में रखते हुए अपना कार्यक्रम हाथ में लिया है। दलित बालिका दो वर्ष की उम्र से ही हमारे पूर्व प्राथमिक शिक्षण कार्यक्रम से जुड़ जाती है। इसमें तीन बातें अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं:

1. बालिका विद्यालय नहीं जाती, विद्यालय बालिका के पास जाता है। उनके झोंपड़ों के पास ही एक झोंपड़ें में कक्षा चलती है।
2. उनमें बालिकाओं को मुफ्त पोषाहार दिया जाता है। इससे उनकी तंदुरस्ती बनी रहती है।
3. बालिकाएँ शाला के लिए तैयार रहती हैं। उनको कहानियाँ सुनाई जाती हैं, ताकि वे भाषा अच्छी तरह से सीख सकें। छह-बारह महीने में वे कहानियाँ कहना सीख जाती हैं। भाषा के उपयोग वाले विविध खेल भी उनको खिलाए जाते हैं।

तीन से पाँच वर्ष को बालिकाओं के बालमंदिर में विविध वैज्ञानिक प्रयोग किये जाते हैं। इसके लिए विविध उपकरण भी जुटाये गए हैं। विविध दालों और अनाज के नाम भी उनको सिखाये जाते हैं। खिलौने और चित्र भी उन्हें सिखाये जाते हैं। उनके द्वारा वे पक्षियों, पशुओं, वाहनों आदि की पहचान करते हैं। विविध अंगों के नाम भी वे इसी तरीके से जानते हैं। बालकों को प्ले-कार्ड द्वारा मराठी लिपि का परिचय भी कराया जाता है। लिखने का काम तो सिर्फ पहली कक्षा में ही शुरू होता है। इस तरह इस अवधि में दलित बालिकाएँ शाला के मध्यम वर्ग के अन्य बालकों के साथ स्पर्धा करने का कौशल अर्जित करती हैं।

बालक जो कौशल अर्जित करते हैं, वे उनकी सीखने की प्रक्रिया में काम आते हैं। इस कार्यक्रम के बारे में इस संदर्भ में जो मुद्दे महत्त्व रखते हैं, वे इस प्रकार हैं:

1. शिशु सदन में दलित बालिकाएँ जैसी हैं, उसी रूप में उन्हें स्वीकार किया जाता है। उनके कपड़े या बाल फटे हाल हों तो उनको कटु वचन नहीं कहे जाते, उनकी भाषा को लेकर उनका उपहास नहीं उड़ाया जाता। बालकों को अधिक से अधिक बोलने के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है ताकि उनमें आत्मविश्वास पैदा हो सके।
2. बालकों और शिक्षकों दोनों को शाला से अपनापन जागे, ऐसी भावना सहभागिता द्वारा जाग्रत की जाती है। इससे वे इन्स्टीट्यूट के उद्देश्यों को पूरा करने में महत्तम प्रयास करते हैं।
3. सीखने की मुश्किलें अपने आप कैसे दूर की जाएँ, ये बातें बालकों को मित्रतापूर्ण रीति से सिखाई जाती हैं। बालकों से शिक्षित व्यक्ति के बतौर व्यवहार करने को कहा जाता है।
4. पहली कक्षा में सिर्फ मराठी और गणित ही सिखाई जाती है, जबकि अन्य शालाओं में चार विषय सिखाये जाते हैं। विज्ञान विषय दूसरी कक्षा में शुरू किया जाता है और चौथा विषय तीसरी कक्षा में शुरू किया जाता है।
5. शिक्षकों को सख्ती से पाबंद किया जाता है कि वे बालकों को कभी भी न तो धमकाएं एवं न मारें। शिक्षक बालकों को यह नहीं कहते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये बातें बालकों पर ही छोड़ दी जाती हैं। इससे स्वानुशासन पैदा होता है।
6. परीक्षाएँ बालकों को पास-फेल करने के लिए नहीं ली जातीं वरन् शिक्षकों को बालक के स्तर के बारे में पता लगे, इसलिए और इस रीति से ली जाती हैं। बालक अपेक्षा अनुसार व्यवहार प्रकट न करे तो इसके लिए शिक्षक अपनी कमी ढूंढते हैं, वे बालक पर दोष नहीं मंढ़ते। परीक्षा के प्रश्नों के जवाब फौरन अगले दिन बता दिये जाते हैं। हर प्रश्न और हर जवाब शिक्षक समझाते हैं। सही उत्तर कैसे दिया जाता है, यह बात भी समझाई जाती है।
7. 12 वर्ष से बड़ी उम्र की बालिकाओं को यौन-शिक्षा भी दी जाती है, इसके परिणाम स्वरूप वे अपने परिवार का नियोजन करना सीखती हैं।
8. व्यावसायिक और कलापरक शिक्षा भी दी जाती है। यह पाँचवीं से सातवीं कक्षा के दरमियान दी जाती है। यदि वे अपनी पढ़ाई को जारी रख पाने की स्थिति में न हों तो शाला छोड़ने के समय इन्स्टीट्यूट उनको स्वावलंबी बनने में मदद देती है। वे रोजाना 50 रुपिया कमा सकें, ऐसे काम

तलाशने में इन्स्टीट्यूट उनकी सहायता करती है। इस तरह दलित बालिकाएँ गौरव व आत्मसम्मान के साथ जी सकती हैं।

9. इन्स्टीट्यूट एक 'मुक्त शाला' (ओपन स्कूल) भी चलाती है, जिसमें 10 से 14 वर्ष की निरक्षर कामगार बालिकायें दाखिल होती हैं। पूरे वर्ष में चाहे जिस समय वे शाला में प्रविष्ट हो सकती हैं। शाला प्रातः 11 बजे से रात 8.30 बजे तक खुली रहती है। दलित बालिकाएँ अपनी अनुकूलता के मुताबिक शाला में आ सकती हैं। शाला में प्रवेश लेने के बाद उनको ऐसी पढ़ाई कराई जाती है कि वे चौथी कक्षा की म्युनिसिपल बोर्ड की परीक्षा में बैठ सकें। जो बालिकाएं यह परीक्षा उत्तीर्ण कर लेती हैं, उनको फिर से दो वर्षों के लिए प्रवेश दिया जाता है। तब वे सातवीं कक्षा की परीक्षा देती हैं। भारत भर में यह एक बेजोड़ प्रयोग है, जिसमें खुली शाला में पढ़ने वाली बालिकाएँ बोर्ड की परीक्षा देती हैं।

10. इन्स्टीट्यूट खुद परीक्षा नहीं लेती। बालिकाओं के नाम म्युनिसिपल स्कूल बोर्ड में भेज दिये जाते हैं। चौथी कक्षा की परीक्षा के लिए अब तक आठ दल और सातवीं कक्षा की परीक्षा के लिए तीन दल तैयार किये जा चुके हैं। एक भी बालिका अभी तक फेल नहीं हुई। कई बालिकाओं ने 65 से 70 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं। सन् 1991-92 में कई बालिकाएं 'मुक्तशाला' में दाखिल हुई थीं, जिनमें से कई अभी नवीं - दसवीं कक्षा में पढ़ाई कर रही हैं। यदि 'मुक्त शाला' न होती तो ये दलित बालिकाएँ निरक्षर ही रह जातीं।

11. जो बालिकाएं पूर्णकालिक मजदूर हैं उनके लिए ढाई घंटे की रात्रि शाला चलाई जाती है। उसमें कोल्हापुर की विभिन्न झोंपड़ पट्टियों की लड़कियों आती हैं। उनमें से अधिकांश कचरा बीनने, घर का काम करने, ईंधन की लकड़ियाँ बीनने, गन्ने के खेतों में काम करने या ऐसे ही अन्य काम करने वाली होती हैं।

12. यह इंस्टीट्यूट राजेन्द्रनगर की झोंपड़ पट्टी में प्रौढ़-शिक्षण की कक्षाएं भी चलाती हैं। उनमें 270 महिलाओं को साक्षर बनाया गया है। सन् 1996-97 में 230 स्त्रियों के लिए कक्षाएँ

लगी थी। सन् 1997-98 के दरमियान प्रति वर्ष 28 स्त्रियों ने लाभ उठाया था। उनको व्यावसायिक शिक्षा भी दी जाती है जिससे वे प्रतिदिन 50 रुपया कमा लेती हैं। स्थान के अभाव के कारण आजीविका के पर्याप्त काम हाथ में नहीं लिये जा सके हैं।

जागृति अभियान

इस इंन्स्टीट्यूट का एक महत्त्वपूर्ण काम है जागृति फैलाना। झोंपड़ पट्टी वाले इलाकों में वह नुक्कड़ सभाएँ करती है और निरक्षरता की समस्या, बालिका-शिक्षण की जरूरत, बाल-विवाह के पुष्परिणाम बाल-मजदूरी के खतरे, छोटे परिवार के लाभ, बचत की आदत की उपयोगिता, स्त्री-पुरुष समानता की जरूरत और महिलाओं

शेष पृष्ठ 24 पर

पोशित्रा विशिष्ट आर्थिक क्षेत्रः निर्यात और विकास किस कीमत पर

गुजरात में सौराष्ट्र के सागर तट पर पोशित्रा में एक नया बंदरगाह विकसित किया जा रहा है। भारत में पहली बार नये ढंग से विकसित होने वाले बंदरगाह संबंधी ब्यौरों और स्थानीय लोगों के प्रश्नों की तस्वीर अंकित करने वाला यह लेख **श्री हेमन्तकुमार शाह और सुश्री ऐलिस मोरिस** द्वारा लिखा गया है। भूमि अधिग्रहण, खेती और रोजगार के व्यापक सवालों के उल्लेख के साथ स्थानीय लोगों के मंतव्यों का भी इस लेख में समावेश किया गया हैं।

प्रस्तावना

भारत सरकार के वाणिज्य मंत्री ने 31-3-2000 को भारत के दो विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (स्पेशियल इकोनोमिक जोन - एस.ई.जेड.) स्थापित करने की घोषणा की थी। यह घोषणा आयात-निर्यात नीति (एक्सिम पोलिसी) की घोषणा के एक भाग के रूप में की गई थी। भारत ज्यादा निर्यात कर सके और अधिक विदेशी मुद्रा कमा सके, ऐसी व्यवस्था के प्रयास स्वरूप ऐसे विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र स्थापित किये जा रहे हैं। यों भी कहा जाता है कि भारत ने 1991 के उत्तरार्ध में जो आर्थिक-सुधार शुरू किए थे उसके द्वितीय चरण के सुधार के रूप में यह कदम उठाया गया है। जो दो विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र स्थापित होने हैं, उनमें से एक गुजरात में और दूसरा तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा। गुजरात के पोशित्रा में यह विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र स्थापित किया जा रहा है।

जामनगर जिले की ओखा मंडल तहसील में स्थापित होने वाली इस आर्थिक क्षेत्र परियोजना को तीन चरणों में विभाजित किया गया है। प्रथम चरण में पोशित्रा बंदरगाह के लिए पोशित्रा गाँव को शामिल किया जाएगा। द्वितीय चरण में इस क्षेत्र के 16 गाँवों को शामिल किया जाएगा और तृतीय चरण में आसपास के अन्य गाँवों को भी शामिल किए जाने की संभावना है। इस परियोजना के शुरूआती चरण में लगभग 18,000 लोगों के बेघर होने की आशंका है।

परियोजना का विवरण

चीन में शेन्जेन नामक एक विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र है, जिसे एक विशिष्ट उदाहरण मानते हुए पोशित्रा को विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र के रूप में विकसित करने की योजना बनाई गई है। चीन, मारिशस और हाँगकांग में ऐसे विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र हैं और उन सभी स्थानों पर वे सरकारी स्वामित्व में हैं। जबकि विश्व में पहली बार भारत में ऐसा विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र निजी कंपनियों के स्वामित्त्व में बन रहा है। अभी ऐसा बताया जा रहा है कि पोशित्रा बंदरगाह तीन वर्षों में काम करने लग जाएगा। जो राज्य सरकार विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र स्थापित करेगी, उसे केन्द्र सरकार भी प्रोत्साहन

पोशित्रा विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में क्या-क्या होगा?

व्यावसायिक

1. बिजनेस पार्क
2. व्यापारी संकुल
3. होटल
4. शोपिंग कॉम्पलेक्स
5. हॉस्पिटल

आमोद - प्रमोद

1. थियेटर और सभागृह
2. खेल और मनोरंजन क्लब
3. स्टेडियम
4. गोल्फ कोर्स
5. सागर-तट का विकास
6. धार्मिक स्थान

सामाजिक

1. आवासीय संकुल
2. विद्यालय और कॉलेज
3. टेक्निकल इन्स्टीट्यूट
4. बगीचे व उद्यान
5. पुस्तकालय और पुरातत्व विभाग
6. आवासों के समीप दुकानें
7. साग-सब्जी के बाजार
8. श्मशान

सार्वजनिक सेवा

1. रास्ते
2. हवाई अड्डा
3. रेल्वे स्टेशन
4. बस स्टैंड

देगी। वाणिज्य मंत्री ने ऐसी घोषणा भी की थी कि इसके लिए केन्द्र सरकार ने 250 करोड़ रुपये रखे हैं। अर्थात् इस राशि में से थोड़ा-सा भाग गुजरात सरकार को मिलने की संभावना है।

पोशित्रा में यह नया बंदरगाह बनाने के लिए एक नई कंपनी का गठन किया गया है। इस कंपनी का नाम है 'गुजरात पोशित्रा पोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड।' इसमें मुख्य कंपनी सी किंग इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है। इसके अतिरिक्त गुजरात सरकार का गुजरात मेरिटाइम बोर्ड उसमें धन का निवेश करने वाली एक संस्था है। साथ ही, सुमिटोमो और न्यूयोर्क लाइफ इंश्योरेंस नामक दो विदेशी कंपनियों इस नई कंपनी में भागीदार हैं। ऐसी संभावना है सिंगापुर की सरकार और अन्य कई बहुपक्षीय संस्थाएँ भी इस कंपनी में धन का निवेश करेंगी। नीदरलैंड्स की फ्रेडरिक और हैरिस नामक कंपनी ने पोशित्रा विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र के ट्राफिक का अध्ययन किया है।

गुजरात सरकार और तमिलनाडु सरकार ने अपने राज्यों में निर्यात प्रक्रिया क्षेत्र (एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन - इ.पी.जेड.) स्थापित करने के लिए केन्द्र सरकार के समक्ष प्रस्ताव रखा था। इसके लिए गुजरात सरकार ने बहुत विशाल क्षेत्र का प्रस्ताव रखा था अतः विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने हेतु गुजरात का और उसमें भी पोशित्रा का केन्द्रीय वाणिज्य मंत्रालय ने चुनाव किया है।

सरकार विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र की उत्पादन करने वाली कंपनियों को उनका 50 प्रतिशत उत्पादन शुल्क चुका देने के बाद भारत में बेचने दे, ऐसी संभावना है। शेष उत्पादन का निर्यात होगा। इस क्षेत्र में 100 प्रतिशत सीधे विदेशी निवेश (फॉरेने डाइरेक्ट इन्वेस्टमेंट - एफ.डी.आई.) की भी स्वीकृति दी जाएगी। यदि यह स्वीकृति दी जाएगी तो ऐसी इकाइयाँ अपना अधिक उत्पादन निर्यात करें, ऐसी शर्त रखने की संभावना का निर्देश वाणिज्य मंत्री ने दिया था। इसके अलावा, ऐसी भी संभावना है कि विशिष्ट आर्थिक

पोशित्रा में किसकी कीमत पर किसका विकास

प्रोजेक्ट	लोगों के मंतव्य
1. यह कंपनी यहाँ भौतिक संसाधनों का विकास करेगी।	यह प्रोजेक्ट इस क्षेत्र के लोगों को बेघर करेगा।
2. आधुनिक टेक्नोलोजी वाला बंदरगाह बनेगा।	स्थानीय लोगों को खेती और पशुपालन के अलावा और किसी तरह की जनकारी नहीं है। शिक्षा के अभाव और बाहरी दुनिया की जानकारी के अभाव के कारण उनका रोजगार जाएगा।
3. प्रतिदिन 100 मिलियन लीटर समुद्री पानी को मीठे पानी में बदलकर उपयोग में लाया जा सकेगा।	➢ इस क्षेत्र के लोगों ने गायकवाड़ के समय से गाँव-गाँव में तालाब, कुएँ बनाए हैं। उन में आज भी मीठा पानी उपलब्ध है। ➢ इस क्षेत्र में 500-500 एकड़ के दो विशाल तालाब आ गए हैं। उनमें मीठीखारी और भीमगजा में बारहों महीने पानी उपलब्ध रहता है। ➢ इसके अलावा यहाँ पिछले कई वर्षों से वाटरशेड कार्यक्रम के तहत कई गाँवों में जल संग्रह की प्रवृत्ति भी चल रही हैं।
4. बाहर के चार लाख लोगों के रहने की व्यवस्था की जाएगी।	स्थानीय 18000 लोगों को बेघर होना पड़ेगा। अपने ही क्षेत्र में आए तीर्थ स्थानों में जाने के लिए 'पास' की जरूरत पड़ेगी।
5. इस प्रोजेक्ट पर अंदाजन 5600 करोड़ रुपयों से अधिक खर्च होगा।	➢ जमीन अधिग्रहण, पुनर्स्थापन और स्थानीय लोगों के पुनर्वास के लिए सिर्फ 350 करोड़ रुपये रखे गए हैं।

क्षेत्रों को करों में भी माफी दी जाए। केन्द्र सरकार का वित्त मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय के साथ विचार-विमर्श करके इस संबंध में निर्णय ले, ऐसी संभावना है। केन्द्र सरकार का और कंपनी का इरादा है कि पोशित्रा विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र को ऐसा क्षेत्र बनाए ताकि वह शेन्जेन, शिन्टोऊ, तिन्जियांग, जेबेल अली और ताईवान जैसे क्षेत्रों से स्पर्धा कर सके। केन्द्र सरकार की यह मंशा भी है कि देश में इस समय जो चार निर्यात-प्रक्रिया क्षेत्र हैं, उनको भी भविष्य में विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र बना दिया जाए। यदि ऐसा होता है तो कांडला का निर्यात-प्रक्रिया क्षेत्र भी इस अर्थ में गुजरात का और भारत का प्रथम विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र बन जाएगा।

सवाल

पोशित्रा विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र की स्थापना के परिणाम स्वरूप जो सवाल उठ खड़े हुए हैं, उनमें सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण सवाल जमीन का है। कंपनी के काम के लिए गुजरात सरकार ने भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की है, भूमि अधिग्रहण के लिए कंपनी ने स्थानीय भूमि-मालिकों को 4000 से 8000 रुपया प्रति एकड़ के भाव से जमीन देने का नोटिस दिया है। यही जमीन बाद में अर्थात् क्षेत्र के ढाँचागत विकास के बाद बहुत ऊँची कीमत पर निजी कंपनियों को उनके धंधों के लिए बेची जाएगी, यह एक सचाई है। अतः गुजरात सरकार एक निजी कंपनी के लिए भूमि अधिग्रहण कर रही है।

सरकारी और निजी तरीके से ऐसा बताया जा रहा है कि जिस जमीन में यह कंपनी आकार ले रही है, वह खेती की दृष्टि से अयोग्य और खारवाली है। जबकि सच्चाई यह है कि कम वर्षा वाली इस भूमि में किसान खेती करके अपना जीवन-निर्वाह करते हैं । उनकी रोजी पूरी तरह से खेती पर आधारित है। सौराष्ट्र के बहुत से क्षेत्रों में लोग रोजी के लिए जिस तरह स्थानांतरण करते हैं, उस तरह इस क्षेत्र के लोगों को स्थानांतरण की जरूरत नहीं पड़ती । यही नहीं, अकाल के समय भी बहुधा कल्याणपुर तहसील के लोग रोजी-रोटी की तलाश में इस क्षेत्र में आते हैं। इससे यह बात सत्य सिद्ध होती है कि इस क्षेत्र की जमीन को जितना गैर उपजाऊ माना जाता है, उतनी यह है नहीं।

इस क्षेत्र में वाघेर समुदाय के लोग निवास करते हैं और उनमें से लगभग 98 प्रतिशत लोगों ने इस क्षेत्र से बाहर कदम ही नहीं रखा। ओखा मंडल का इलाका ही उनकी दुनिया है। इस परियोजना से यदि अब उनका स्थानांतरण होता है तो उनके जीवन का पहला

पोशित्रा बंदरगाह का अनुमानित खर्च

पोशित्रा में बंदरगाह के विकास हेतु शुरूआत में 50 वर्ग कि.मी. क्षेत्र को प्रथम चरण में शामिल किया जाएगा। इस प्रथम चरण के 2005 तक पूरा होने की अपेक्षा है। इसमें लगभग 5652 करोड़ रु. खर्च होने का अनुमान है। इस खर्चे का विवरण इस प्रकार है:

खर्च का विवरण	रु. करोड़	प्रतिशत
1. स्थान का विकास	505	8.9
2. निर्माण कार्य	1633	28.9
3. साधन-सामग्री	1667	29.5
4. फर्नीचर और फिक्सचर	89	1.6
5. खर्च में वृद्धि	443	7.9
6. भूमि-अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन	350	6.2
7. कन्सल्टेंसी और मास्टर प्लान	156	2.8
8. प्राथमिक खर्च	138	2.6
9. निर्माण कार्य के दौरान ब्याज	670	11.9
कुल	**5652**	**100.0**

यह धन कहाँ से आएगा, इसका भी आयोजन हुआ है। इसका अनुमान निम्न है:

धन का स्रोत	रु. करोड़	प्रतिशत
1. इक्विटी शेयर पूंजी	1272	22.5
2. लंबी अवधि का कर्ज	3181	56.3
3. लीज धरोहर	1199	21.2
कुल	**5652**	**100.0**

इस बंदरगाह पर कुल रु. 10,000 करोड़ के खर्चा का अनुमान है। शुरू में ऐसा कहा जा रहा है कि 50 वर्ग कि.मी. क्षेत्र विकसित किया जाएगा। लेकिन कुल क्षेत्र बाद में 1000 वर्ग कि.मी. होने की धारणा है। गुजरात सरकार ने 880 हैक्टेयर जमीन तो दे दी है। वैसे कंपनी के बताये मुताबिक कुल 200 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में पोशित्रा विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र बनाया जाएगा और उसमें ज्यादा क्षेत्र सागर तट का है।

स्थानांतरण होगा। इस तरह वे अपनी ही धरती से अलग जाएंगे।

एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा यह है कि विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र को बैंकिंग सेवा और मजदूरों संबंधी कानूनों के सिवाय तमाम कानूनों से मुक्ति दे दी जाएगी । यद्यपि ऐसा बताया जा रहा है कि श्रमिकों के विवादों के समाधान के लिए विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में एक नई ही व्यवस्था निर्मित की जाएगी। उसमें ऐसी व्यवस्था रहेगी कि विवादों का फौरन हल निकाला जाए। परंतु ऐसी संभावना है कि थोड़े समय बाद विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र को तमाम श्रम कानूनों से मुक्ति दे दी जाए। इस तरह की मुक्ति की मांग भारत के निर्यातकों

पोशित्रा बंदरगाह के बारे में लोग क्या कहते हैं?

नरसीभाई मोदी (कल्याणपुर)

दो महीने पहले ही पता चला कि जमीन जाने वाली है। उन्हें अगस्त 2000 में डिप्टी कलैक्टर का भूमि अधिग्रहण का नोटिस मिला। पोशित्रा बंदरगाह के बारे में उनको कोई पता नहीं था। अचानक मिले इस नोटिस से उन्हें बहुत आघात लगा। वे कहते हैं कि 'लोकतंत्र में ऐसा कैसे? जबरदस्ती जमीन छीन लेना? हमारी जाति में मर्यादा होते हुए महिलाएँ लड़ने बाहर निकल पड़ी हैं। हमको खाना तक अच्छा नहीं लगता। जमीन जाने की बात सुनकर लोगों की नींद उड़ गई है।'

रमेश मथुरदास ठक्कर (कल्याणपुर)

28 वर्षीय कृषक रमेशभाई के पास खेती की 35 एकड़ जमीन है। इसमें 17 एकड़ उपजाऊ जमीन है। वे लगभग निरक्षर हैं। वे कहते हैं कि बंदरगाह बनने देकर हमें कहाँ जाना है? मुआवजे के पैसों में कुछ नहीं आता। पैसों के बदले में जमीन थोड़े ही दी जाती है?' वे कलैक्टर से मिलने जामनगर गए। कलैक्टर ने प्रति एकड़ 5000 का भाव तय किया है। 'सरकार लाख रुपये दे तब भी जमीन नहीं देनी, मैं मर जाऊंगा पर जमीन नहीं दूंगा।'

भाईलाल हंसराजभाई (कल्याणपुर)

सातवीं तक पढ़े 34 वर्षीय भाईलाल के पास नौ एकड़ जमीन है। सारी जमीन उपजाऊ है। वे कपास और मूंगफली उगाते हैं। तीन भाइयों के 18 व्यक्तियों के परिवार का भरण-पोषण इसी जमीन से होता है और बचत भी हो जाती है। उन्हें जमीन के बदले नौकरी नहीं चाहिए। वे कहते हैं 'हमारा क्षेत्र निजी-विदेशी क्षेत्र बन जाए और हमारी जमीन पर हमें ही प्रवेश न मिले? किसी भी कीमत पर हमें जमीन नहीं देनी।'

गजुभा वजाभा (ध्रासणवेल)

उनके पास 24 एकड़ उपजाऊ भूमि है। वे बाजरा, ज्वार, कपास, मिरच उगाते हैं। वे कहते हैं, 'बंदरगाह बनता है तो किसानों को क्या? हमारा तो खेती ही आधार है। खेती चली जाए तो नुकसान ही होगा न? सरकार पुलिस भेज दे तब भी क्या? यहाँ पूरा ओखा-मंडल एक होकर लड़ने को तैयार है। मुआवजा लेकर कितने दिन चलेगा? जमीन ने तो पीढ़ियों को तारा है और आगे भी तारेगी। मुआवजा एकाध पीढ़ी में ही समाप्त हो जाएगा। जबरदस्त अकाल में भी प्रजा ओखा मंडल छोड़कर बाहर नहीं गई। क्या हम बंदरगाह के लिए ओखा छोड़ देंगे?'

लक्ष्मीदास गोविंदजी ठक्कर (ध्रासणवेल)

वे कहते हैं कि 'हम पढ़े-लिखे हैं तब भी छह महीने पहले ही पता लगा है कि जमीन जाने वाली है। हमारी जमीन बचाने के लिए हमें ही लड़ना पड़ेगा। ग्राम सभाएँ बुलाकर समितियाँ बनानी हैं। अगुवाई हमारे ही हाथ में है।'

धांधाभा अरजणभा माणेक (मुलवासर)

धांधाभा को जमीन देने हेतु समझाने के लिए क्षेत्र के विधानसभा सदस्य गए थे, पर उनके सहित पूरे गाँव ने जमीन देने से इनकार कर दिया। वे कहते हैं कि 'जान दे देंगे पर जमीन नहीं। जमीन तो माँ का पेट है। हमें बालक की तरह यही पालती है। जुआरी भी माँ को दांव पर नहीं लगाता।'

झखराभा लालाभा केर (गोरियारी)

वे तहसील पंचायत के सदस्य हैं। उनके पास पाँच एकड़ उपजाऊ जमीन है। वे किसी भी कीमत पर अपनी ज़मीन देने को तैयार नहीं। 'गोलियों झेलते हुए वे सब मैदान में कूद पड़ेंगे।'

का महा मंडल पिछले बहुत समय से कर रहा है।

लोगों की आवाज

प्रारंभ में दो-तीन महीनों तक स्थानीय लोग यही मानते थे कि उनकी जमीन कोई नहीं खरीद सकता। इसी दरमियान कई बिचौलियों, राजकीय नेताओं और समृद्ध लोगों के द्वारा जमीन बेची गई। कंपनी ने पहले लोगों को नोटिस दिया और नायब कलेक्टर द्वारा भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 4 के मुताबिक नोटिस दिये जाने तक लोगों को इस योजना का पता तक नहीं था। स्थानीय लोग ऐसा मानते थे कि उनकी जमीन को कोई उनसे छीन नहीं सकेगा। परंतु नवंबर 2000 में जब भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 4(1) के मुताबिक दूसरा नोटिस गाँवों में चिपकाया गया तब लोगों में भय पैदा हुआ। तब लोगों में इस मुद्दे पर चर्चा के लिए गाँव-गाँव में ग्राम सभा बुलाई गई। प्रत्येक गाँव में 'किसान और ग्राम हितकारी समिति' की रचना की गई। ऐसी प्रत्येक समिति से दो-दो प्रतिनिधियों को लेकर 'ओखामंडल किसान ग्राम बचाओ संकलन समिति' का गठन किया गया। इस समिति ने इस योजना को अस्वीकार कर दिया। यह सारी प्रक्रिया इस प्रकार हैः 1. गाँव-गाँव में ग्राम सभाएँ हुई और उनमें ग्राम स्तर की समितियाँ गठित की गई। 2. समग्र ओखा मंडल क्षेत्र के लोग इस सवाल पर चर्चा-परिचर्चा के लिए इकट्ठे हुए। 3. जमीन अधिग्रहण के नोटिस के विरुद्ध नायब कलैक्टर को पत्र लिखकर लोगों ने विरोध जताया। 4. समितियों के द्वारा आपत्ति-प्रार्थनापत्र नायब कलैक्टर को प्रस्तुत किए गए। 5. संकलन समिति द्वारा 16 गाँवों में 'ग्राम जागृति और संगठन यात्रा' निकाली गई। इस यात्रा के दौरान गाँव-गाँव में ग्राम सभा का आयोजन किया गया।

पृष्ठ 19 का शेष भाग

की आर्थिक सक्षमता जैसे विषयों पर वहाँ चर्चा को जाती है। आगामी दो वर्षों में इन्स्टीट्यूट की योजना झोंपड़ पट्टी की तमाम महिलाओं को साक्षर बनाने की है। प्रौढ़-साक्षरता की कक्षाओं के द्वारा यह काम हो रहा है।

परिणाम

राजेंद्रनगर झोंपड़ पट्टी में 3300 की आबादी है, उनमें से 1735 पुरुष और 1565 स्त्रियाँ हैं। 5 से 18 वर्ष की उम्र वाली 711 बालिकाएँ हैं। मई-जून 1997 के मध्य शिक्षकों द्वारा किए गए सर्वेक्षण से ये तथ्य सामने आए थे। जून 1999 से दो शिशु सदन चल रहे हैं । उनमें 2 से 5 वर्ष की 60 बालिकाएँ पढ़ रही हैं। पाँच वर्ष की होते ही उनको सीधे पहली कक्षा में दाखिल कर दिया जाता है। पहली कक्षा में सामान्यतया 45 लड़कियाँ प्रवेश लेती हैं।

पहली से पांचवीं कक्षा की प्राथमिक शाला में 256 बालिकाएँ और 59 बालक हैं। कुल 711 बालिकाओं में से दो-तिहाई से भी ज्यादा बालिकाएँ इस शाला में प्रविष्ट हुई हैं। इनमें 80 प्रतिशत दलित हैं। 29 बालिकाएं अत्यंत गरीब मुस्लिम परिवारों से संबंधित हैं। मुक्त शाला में सभी 59 दलित बालिकाएँ काम करने वाली हैं। प्रति वर्ष उनमें से 10 बालिकाएँ चौथी कक्षा और पाँच बालिकाएँ सातवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा देती हैं। अब तक एक भी बालिका बोर्ड की परीक्षा में फेल नहीं हुई। रात्रि शाला में 26 बालिकाएँ पढ़ती हैं, जो पूर्णकालिक मजदूर हैं। इस तरह कुल 460 बालक इंस्टीट्यूट द्वारा शिक्षा पा रहे हैं। शाला में आने वाले एक भी बालक का विवाह नहीं हुआ, यह एक बड़ी उपलब्धि है। लड़कियों को छोटे-बड़े सात व्यवसायों का प्रशिक्षण दिया जाता है। शाला के बहुत सारे बालक समीपस्थ माध्यमिक शालाओं में प्रवेश लेते हैं।

उपसंहार

हमारे अनुभव का सार यह है कि वंचित वर्ग की बालिकाओं को शिक्षा देने के लिए अनुकूल वातावरण निर्मित करने की जरूरत है। इसके लिए चाहे जो गैर-परंपरागत मार्ग अपनाना पड़े, तब भी अपनाया जाना चाहिए। प्रमाणपत्रों के आधार पर प्रवेश, शाला का प्रतिकूल समय,पाठ्यपुस्तकों का अत्याचार आदि ऐसे तत्त्व हैं जो बालकों को शिक्षा के ढाँचों से बाहर धकेल देते हैं। इन तत्त्वों को दूर कर दिया जाए तो अपने आप शिक्षा का प्रसार हो जाता है। बाल मजदूरी का अंत हो और शिक्षा राज्य का दायित्व हो तो यह निरक्षरता की समाप्ति का एक महत्वपूर्ण मार्ग है।

गतिविधियां

विकास आलेखों हेतु 'चरखा' द्वारा पुरस्कार प्रदान किए गए

'चरखा' द्वारा दिनांक 13 दिसम्बर, 2000 को अहमदाबाद में लेखन स्पर्धा पुरस्कार वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। उसमें महिला सामाजिक कार्यकर्ताओं को उनके श्रेष्ठ विकासपरक आलेखों पर नगद पुरस्कार प्रदान किए गए। 'चरखा' द्वारा हर वर्ष स्वैच्छिक संस्थाओं के सामाजिक कार्यकर्ताओं हेतु विकासपरक विषयों पर लेखन स्पर्धा आयोजित की जाती है। सामाजिक कार्यकर्ताओं को उनके विकास संबंधी कार्यों के अनुभवों के बारे में नियमित रूप से लिखने के लिए प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से स्पर्धा आयोजित होती है। इस वर्ष मात्र महिला सामाजिक स्वैच्छिक संस्थाओं की 45 महिला सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया था। उनमें से निम्नलिखित पाँच विजेताओं को नगद पुरस्कार देकर सम्मान किया गया था:

प्रथम - भारती बहन आहिर, कच्छ महिला विकास संगठन, भुज-कच्छ।

द्वितीय - जयश्री बहन लाड, सेवा रूरल, झघड़िया, भरूच।

तृतीय - मंगू बहन खराड़ी, आनंदी, देवगढ़ बारिया, पंचमहाल।

चतुर्थ - शकुंतला बहन वळवी, कानूनी सहायता एवं मानव अधिकार केन्द्र, सूरत।

पंचम - लक्ष्मी बहन चारण, महिला सामख्य, पंचमहाल।

'चरखा' प्रति वर्ष सबसे अधिक विकास लेख लिखकर भेजने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं को विशेष पुरस्कार से सम्मानित करता है। इस वर्ष 'कच्छ महिला विकास संगठन' की उजास टीम की श्रीमती कमला बहन गुसाई को यह सम्मान प्राप्त हुआ।

स्पर्धा के निर्णायकों के रूप में जाने माने पत्रकार श्री यशवंत मेहता, पत्रकार बेला ठाकर और अनिता जतकरे ने सेवाएं प्रदान की थीं। कार्यक्रम में विख्यात लेखिका और सामाजिक कार्यकर्त्री वसुबहन भट्ट, डेवलपमेंट सपोर्ट सेंटर के चेयरमेन श्री अनिलभाई

शाह, दिल्ली स्थित 'प्रिया' संस्था के प्रमुख श्री राजेश टंडन, सुप्रसिद्ध कर्मशील पत्रकार इन्दुकुमार जानी, 'अनसूया' की संपादिका जयंतिका बहेन जयंतभाई और 'उत्थान' की निदेशक नफीसा बारोट के कर-कमलों से पुरस्कार प्रदान किये गए थे। 'चरखा' द्वारा 'गुजरात में विकास के क्षेत्र में लोक प्रयास' श्रृंखला के अंतर्गत तैयार 'पानी' शीर्षक पुस्तक का श्री अनिल शाह के द्वारा लोकार्पण किया गया था।

श्री राजेश टंडन ने 'नागरिक समाज के सशक्तिकरण में समूह माध्यमों की भूमिका' विषय पर अपना वक्तव्य दिया था। उसमें उन्होंने सकारात्मक विकासपरक आलेखन की जरूरत पर बल दिया था। समारोह में उपस्थित महानुभावों ने प्रासंगिक उद्‌बोधन किया था। विजेता महिला सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अपने कार्यक्षेत्र में होने वाले विकासोन्मुखी प्रयासों की जानकारी दी थी। 'चरखा' के एक्जिक्युटिव ट्रस्टी श्री बिनोय आचार्य ने समग्र कार्यक्रम का संचालन किया था।

दलितों की समस्याएँ : एक परिसंवाद

'बिहेवियरल साइंस सेंटर' द्वारा 'इंडियन सोशियल इंस्टीट्यूट' (नई दिल्ली) के सहयोग से दिनांक 31 अक्टूबर, 2000 और 1 नवंबर, 2000 के दिन 'सहस्राब्दि में दलित : समस्याएँ और संभावनाएँ'

विषय पर एक परिसंवाद आयोजित किया गया था।

इस दो दिवसीय परिसंवाद में दलित कार्यकर्ताओं, बहनों, भाइयों और युवकों की बहुत बड़ी संख्या में उपस्थिति थी। कार्यक्रम की रूपरेखा के अनुसार प्रत्येक सत्र में आमंत्रित वक्ताओं ने दिये गए विषय के अनुरूप वक्तव्य दिये थे। वक्तव्य चिंतनपरक व मननीय थे। प्रत्येक वक्तव्य के बाद में चर्चा रखी गई थी, जिससे कि परिसंवाद में उपस्थित हर व्यक्ति अपनी प्रतिक्रियाएँ, मंतव्य और सुझाव दे सके। परिसंवाद में कुल 125 दलित बहनों व भाइयों ने भाग लिया था।

परिसंवाद के प्रारंभ से पूर्व बिहेवियरल साइंस सेंटर के निदेशक ने आमंत्रित अतिथियों और सहभागियों का स्वागत किया। उन्होंने परिसंवाद का उद्देश्य स्पष्ट किया और बताया कि इंडियन सोशियल इंस्टिट्यूट ने उन्हें इस अवसर पर सहयोग प्रदान किया।

इस परिसंवाद के अध्यक्ष पद से बोलते हुए श्री गिरीशभाई पटेल ने अपने भाषण में दलितों पर प्रभाव डालने वाली समस्याओं, शिक्षा में छुआछुत, पचास वर्षों में दलितों की दशा में कोई सुधार नहीं आया, नौकरी में दलितों के साथ होने वाले अन्याय आदि विषयों को स्पर्श किया। उनके भाषण में मुख्य बात यह थी कि मानवाधिकारों का किस तरह उल्लंघन होता है। संविधान में दलितों, आदिवासियों और महिलाओं कि लिए कानून बनाया गया है, फिर भी कानून का खुले आम उल्लंघन होता है और दिन-प्रतिदिन दलितों, आदिवासियों एवं महिलाओं के साथ अन्याय-अत्याचार की संख्या बढ़ रही हैं। इस संबंध में दृष्टांतों और आंकड़ों के आधार पर जो सूचनाएँ दी गई उनसे दलितों की दशा चिंताजनक बताई गई थी।

उसके बाद श्री मार्टिन मेकवान ने 'दलित और राज्य की राजनीति' विषय पर अपने विचार प्रस्तुत किए थे। इस विषय में मुख्य बात यह थी कि हाल के राजनीति-प्रवाह में नेताओं और अधिकारियों का व्यवहार दलितों को लेकर ऐसा है कि तुम हमारी रक्षा के अधीन हो, तब दलितों की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उनकी मर्जी से मिलेगा। दलित कब, क्या बोलें, क्या न बोलें, यह भी दूसरे लोग तय करते हैं।

राष्ट्रीय प्रक्रिया में विचारधारा का निर्माण बहुत महत्त्वपूर्ण है। दलितों की समस्याओं को राजनीतिक रंग दे दिया जाता है। इस वजह से दूसरे उनका लाभ ले जाते हैं। ऐसे में दलितों को तो आखिरकार शोषित ही रहना पड़ेगा। दलितों को दलितपन की संकीर्ण व्याख्या से बाहर आना चाहिए। दलित किसी जाति या समूह की पहचान नहीं है। यह एक नैतिक स्थान है। शोषित होने वाले, अन्याय के विरुद्ध लड़ने बाले, शोषण के खिलाफ लड़ाई में शामिल प्रत्येक व्यक्ति दलित है। अलगाव समाज के लिए नुकसानदायी है।

पंचायती राज के संदर्भ में भी देखा जा सकता है कि गाँवों में दलित सरपंच खड़े हैं, अधिकार मिले हैं। परंतु अविश्वास प्रस्ताव दलित सरपंचों के सामने खड़ा एक बड़ा सवाल है। चर्चा में निष्कर्ष रूप में यह बात सामने आई कि दलितों की जो आंतरिक व्यवस्था है उसे 'दलित' शब्द स्वयं प्रकट कर रहा है। दलित भारतीय समाज व्यवस्था का एक भाग है और इसी रीति से व्यवस्था की गई है। इससे अनेक सवाल खड़े होते हैं, पर हमें अपने भीतर के मतभेद दूर करने हैं।

उनके बाद श्री इन्दुकुमार जानी ने 'दलित और कट्टरतावाद' विषय पर अपने विचार प्रस्तुत किए। उन्होंने कट्टरवाद किसे कहते हैं और किस रूप में कट्टरतावाद आ रहा है, इस विषय में जानकारी दी।

'दलितों और कट्टरतावाद' की चर्चा के दौरान ये तथ्य सामने आए कि कट्टरतावाद हिन्दू संस्कृति की उपज है। उनके पास सत्ता, संगठन और पैसों की ताकत है। दलितों को कट्टरतावाद के सामने सिर उठाने के लिए आंतरिक जाति भेद भुलाकर एक होना पड़ेगा। दलितों को कट्टरतावाद का सामना हर क्षेत्र में करना पड़ता है। दलितों में कट्टरतावाद का प्रभाव कहाँ-कहाँ पड़ा है, यह जानना जरूरी है। अगर इसकी पूरी जानकारी हासिल कर सकें तभी उसमें अपने नए विचार जोड़कर कुछ कर सकेंगे। कट्टरतावाद अर्थात यह सिद्ध करने का जुनून कि सामने वाला

व्यक्ति गलत है। लोगों मे विद्यमान सहयोग की भावना, लोक संगठन, महिला-संगठन में जाग्रति लाई जा सके तो बहुत परिवर्तन किया जा सकता है।

दूसरे दिन शुरूआत में श्री विजय परमार ने 'दलित और जीवन निर्वाह के प्रश्न' विषय पर अपने अनुभव आधारित विचार प्रस्तुत किए थे। दलितों के जीवन-निर्वाह के प्रश्नों में मुख्य है जमीन, पूंजी और ज्ञान। दलितों का इन तीनों साधनों पर नगण्य-प्राय अंकुश है। इन तीनों साधनों को प्राप्त करने में बाधक परिबल हैं सरकार, सरकार द्वारा गठित वित्तीय संस्थाएँ। उदाहरणार्थ, सरकार द्वारा भूमि हदबन्दी के अधीन हरिजन विकास परिषद् को सरकारी जमीन दी गई है। पिछड़े वर्ग के समूहों को भी जमीन मिलती है, परंतु इन जमीनों के मालिक अभी तक अपनी जमीनों तक नहीं जा सके। गाँव के लोग अपनी जमीन पर अंकुश न होने के कारण जोत नहीं सकते। जमीन पर थोड़ा अंकुश होना जरूरी है। इसके लिए सामूहिक रूप से कुछ होना चाहिए। इसी तरह से पूंजीगत ढाँचा खड़ा न हो तो सार्वजनिक वित्त पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता। दलित लोग अपना पूंजीगत ढाँचा खड़ा करें तो इसका प्रबंध भी दलित ही करें, ऋण भी फौरन मिले और अन्य सार्वजनिक धन पर अंकुश लाने में भी मददगार हो सके। इसमें से मुख्य बात यह सामने आई कि आइंदा दलितों को रोजगार के अवसरों पर नजर रखनी पड़ेगी, धार्मिक विचारधारा को एक तरफ रखकर सरकार के विरुद्ध ताकत से लड़ने की जरूरत है। इनमें शिक्षा और आरक्षण मुख्य हैं। जबकि जमीनों पर अंकुश के लिए नीतिगत मामलों में संघर्ष की जरूरत है।

तदुपरांत 'दलित महिलाएँ' विषय पर पूरी बहन सिंधन, ज्योत्सना बहन मेकवान और जड़ी बहन ने दलित महिलाओं की आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक तथा राजनीतिक परिस्थिति के बारे में विस्तारपूर्वक विचार प्रस्तुत किए। इन सभी क्षेत्रों में दलित महिला को एक महिला के रूप में और इसके अलावा एक दलित के नाते किस तरह असमान विचारधाराओं का शिकार बनना पड़ता है, इस पर अनुभव के आधार पर प्रकाश डाला गया। आर्थिक स्थिति में महिलाओं को असमान वेतन भुगतान, नौकरी के साथ घर का उत्तरदायित्व और जायदाद में कोई अधिकार नहीं। इसी भाँति सामाजिक व्यवस्था का शिकार ज्यादातर महिलाओं को ही बनना पड़ता है। राजनीति में महिला-आरक्षण 33 प्रतिशत है परंतु पंचायती राज में महिलाओं के पास पूरी सत्ता नहीं आई।

इस चर्चा के बाद 'गुजरात में दलित असंतोष : ऐतिहासिक विहंगावलोकन, भविष्य की चुनौतियाँ' विषय पर बोलते हुए श्री नितिन गुर्जर ने असंतोष के दौरान हुए अपने अनुभव बताये तथा सन् 1920 से 1990 तक की समयावधि को ध्यान में रखते हुए बताया कि गुजरात में असंतोष का उद्‌भव किस तरह हुआ और इसका कैसा स्वरूप था। उन्होंने उसके परिणाम और वर्तमान असंतोष, उसके स्वरूप और उसमें स्थायित्व न आ पाने को लेकर गहन विश्लेषण किया था। उन्होंने बताया कि जो दलित असंतोष हुआ उसको आंदोलन के बतौर नहीं लिया जा सकता। असंतोष वैचारिक चिंतन के साथ होता है और उसका परिणाम

भविष्य में पाया जा सकता है। गुजरात का एक दुर्भाग्य यह है कि असंतोष सामने से कभी शुरू नहीं हुआ, वरन् चुनौती आने के बाद ही शुरू हुआ।

इस सत्र के अंत में समाज कल्याण निदेशक ने समाज कल्याण विभाग की दलितों हेतु जो आर्थिक व्यवस्थाएँ हैं, उनके बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी प्रदान की।

परिसंवाद के अंतिम भाग में, दो दिवसीय परिसंवाद के दौरान दिये गए भाषणों, चर्चा-परिचर्चा और सुझावों को ध्यान में रखते हुए निकलने वाले निष्कर्षों पर चर्चा की गई। उसके मुख्य मुद्दे इस प्रकार हैं:

1. नयी विचारधारा तैयार करना: जो विचारधारा हमारी अपनी हो और हमारी अस्मिता हो। उसके आधार पर दलितों में एकता स्थापित की जा सकती है, आज जो विचारधारा है, उसके विरुद्ध अर्थात् 'प्रति विचारधारा का निर्माण' करना जो धार्मिक, लैंगिक व जातीय कट्टरतावाद के ऊपर आधारित हो।
2. शिक्षण: इसमें प्राथमिक और उच्च शिक्षा का समावेश होता है। यह शिक्षण गुणवत्ता वाला और मूल्य आधारित बने, यह जरूरी है।
3. सरकारी नीतियों के खिलाफ जूझना: इन नीतियों में आरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों पर अंकुश तथा शिक्षा का समावेश हो सकता है।
4. नए आजीविका-अवसर मुहैया करना।
5. मुद्दे आधारित आंदोलन खड़े करना, उन्हें जीवंत रखना और दिशा देना। रोजमर्रा के जीवन में तमाम मामलों में जो अन्याय होता हे उसके विरुद्ध संघर्ष करना। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, छुआछूत आदि का समावेश होता है।
6. लोगों को संगठित करना और कार्यकर्ताओं में नेतृत्व के गुण विकसित करना।
7. विचारधारा निर्मित करने में बहनों के दृष्टिकोण का समावेश करना तथा लोक संगठन व कार्यकर्ताओ की मदद लेकर आगे बढ़ना।

परिसंवाद के अंत में यह तय किया गया कि एक समिति का गठन किया जाए, जो इन मुद्दों को व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाए तो बहुत अच्छा काम हो पाएगा।

दलितों के पक्षधर श्री वसंतलाल चौहान को भानुभाई अध्वर्यु एवार्ड अर्पित

स्वैच्छिक संस्थाओं के संगठन 'जनपथ' तथा 'नया मार्ग' पत्रिका द्वारा वर्ष 2000 का भानुभाई अध्वर्यु एवार्ड समर्पण समारोह 17 दिसंबर को अहमदाबाद में सम्पन्न हुआ। लगभग पाँच दशकों

मानवाधिकार क्षेत्र का प्रतिष्ठित रॉबर्ट एफ. केनेडी एवार्ड मार्टिन मेकवान को प्रदान किया गया

अमेरिका के रॉबर्ट एफ. केनेडी मेमोरियल सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स की और से प्रतिवर्ष घोषित होने वाले एवार्ड हेतु नवसर्जन ट्रस्ट, अहमदाबाद के डायरेक्टर मार्टिन मेकवान को चुना गया। तीस हजार डालर नगद धनराशि वाला यह एवार्ड जीबन को जोखिम में डालकर मानवाधिकारों की रक्षा तथा अत्याचारों के खिलाफ संघर्ष करने वाले कार्यकर्ता को दिया जाता है। एवार्ड में नगद राशि के अलावा आगामी एक वर्ष तक एवार्ड विजेता की गतिविधियों को रॉबर्ट एफ. केनेडी मेमोरियल की और से मजबूत सहारा प्रदान किया जाता है।

१९८९ में नवसर्जन की स्थापना करने वाले मार्टिन मेकवान गुजरात में दलितों के अधिकारों के लिए अदालत में और बाहर बराबर आवाज उठाते रहे हैं। गुजरात के दो हजार गाँवों में कार्यकर्ताओं वाली संस्था नवसर्जन के द्वारा मार्टिन मेकवान सिर पर मैला ढोने की समस्या, भूमिहीन खेत-मजदूरों की दुर्दशा और महिलाओं के दुहरे शोषण जैसे गंभीर मुद्दों पर जोरदार संघर्ष कर रहे हैं। नेशनल कैम्पेन फॉर दलित ह्यूमन राइट्स के कन्वीनर रहे श्री मेकवान संयुक्त राष्ट्र संघ की वर्ल्ड कांफ्रेंस में भी दलितों पर होने वाले अत्याचार के मुद्दे पर लोकमत जगा रहे हैं। उनकी इस प्रवृत्ति के प्रमाण स्वरूप यह रॉबर्ट एफ. केनेडी मोमोरियल एवार्ड समारोह २१ नवंबर, २००० को वाशिंगटन में सम्पन्न हुआ था।

तक व्यायाम, शिक्षण और विचार-निर्माण की प्रवृत्तियों द्वारा अहमदाबाद और गुजरात के दलितों में नया नेतृत्व पैदा करने वाले, बुनियादी परिवर्तन के लिए सतत संघर्षशील कर्मवीर श्री वसंतलाल तुलसीभाई चौहान को यह एवार्ड अर्पित किया गया। अग्रणी शिक्षाशास्त्री और गाँधी विद्यापीठ वेडछी के कुलपति श्री प्र.चु. वैद्य के हाथों यह एवार्ड प्रदान किया गया। इस सम्मान में 11 हजार रुपए., शॉल और सम्मान-पत्र शामिल है।

सम्मान के प्रत्युत्तर में श्री वसंतलाल चौहान ने कहा कि, '54 वर्षों की आज़ादी के बाद भी समस्याएँ बढ़ती जा रही हैं और उनका समाधान करने के प्रयत्नों की गति धीमी पड़ती जा रही है। वंचितों के विकास और आत्म-सम्मान के लिए और अधिक जोर से काम करूंगा तभी वंचित वर्ग खड़ा हो सकेगा।' समारोह के दौरान श्री मार्टिन मेकवान के लेख-संग्रह 'संघर्ष के संग नवसर्जन' का लोकार्पण किया गया था। कार्यक्रम में उपस्थित महानुभावों ने प्रासंगिक उद्‌बोधन किए। कार्यक्रम में श्री वसंतलाल चौहान के चाहने वाले, शुभेच्छु, स्वैच्छिक संस्थाओं के प्रतिनिधि आदि बहुत बड़ी संख्या में उपस्थित थे। अग्रणी कार्यकर्ता श्री मधुसूदन मिस्त्री की अध्यक्षता में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ था।

अकाल का सामना करने हेतु आयोजना-कार्यशाला

23

81

श्रद्धांजलि

2 जनवरी, 2001 के दिन एक रैली में भाग लेते समय हृदयाघात से श्रीमती सरोज बहन का दुःखद अवसान हो गया। द्वारका की ओखा मंडल तहसील में पोशित्रा बंदरगाह पर विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र परियोजना के विरोध में स्थानीय लोगों की चिन्ताएँ हल करने के लिए यह रैली आयोजित की गई थी। सरोज बहन अपने पति सामाजिक कार्यकर्ता श्री डी. एस. केर को उनके काम में पिछले तीन दशकों से घर का सारा काम संभाल कर मदद दे रही थीं। छह महीने पहले ही उन्होंने विस्थापन के विरुद्ध संघर्ष करते हुए स्थानीय लोगों के संग सक्रिय रीति से काम करना तय किया था। जनहित का काम करते हुए ही उनके जीवन का अंत आ गया। जनहित का काम करते-करते ही श्रीमती सरोज बहन का स्वर्गवास हुआ। इससे हम बहुत गहरे दुःख का अनुभव कर रहे हैं। वे हम सब के लिए एक संदेश छोड़ गई हैं। हमें आशा है कि वे गरीबों के अधिकारों की आवाज बुलंद करने के लिए सभी महिलाओं को प्रेरणा देती रहेंगी।

15

380013

ओक्सफाम द्वारा अकाल के बारे में बैठक आयोजित

1 12 2000

1

2. अकाल का अंदाजा लगाने के लिए दानाबंदी पद्धति एक पुरानी पद्धति है। इससे उत्तम पद्धति की आवश्यकता है। फसल की असफलता के बजाय पानी की प्राप्ति में कमी को आधार बनाया जाना चाहिए। रिमोट सेंसिंग और सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन जैसी आधुनिक और सुनिश्चित पद्धतियों का उपयोग अकाल का वास्तविक अंदाजा लगाने हेतु किया जाना चाहिए।
3. अकाल-संचालन संबंधी आयोजन ग्राम सभा में अभावग्रस्त ग्रामीण लोगों के साथ मिलकर करना चाहिए।
4. घास चारे की अधिक बुवाई के लिए सरकार द्वारा पूरी मदद दी जाए।
5. जिला स्तरीय अकाल संचाल समिति में स्वैच्छिक संस्थाओं के प्रतिनिधि सहभागी हों।

उड़ीसा में एल्युमिना प्लांट के समक्ष विरोध

उड़ीसा के रायगढ़ जिले में काशीपुर अंचल के माईकांच गाँव में पुलिस के हमले से तीन निर्दोष आदिवासियों की मौत के बारे में स्वैच्छिक संस्थाओं ने जबरदस्त विरोध जताया है। काशीपुर में पिछले आठ वर्षों से यू.ए.आई.एल. कंपनी के द्वारा जो एल्युमिना प्लांट बनाया जा रहा है, आदिवासी उसका विरोध कर रहे हैं। माईकांच गाँव में स्थानीय राजनीतिक नेताओं ने इस प्लांट के पक्ष में 15.12.2000 को एक सभा का आयोजन किया था। ग्रामवासियों ने उसका विरोध किया। स्थानीय राजनीतिक नेताओं के समर्थकों ने एक स्थानीय स्वैच्छिक संस्था ओ.पी.डी.एस.सी. के कार्यालय पर भी हमला किया। इसके अलावा काशीपुर की एक स्वैच्छिक संस्था 'अग्रगामी' पर लगातार ऐसा आक्षेप लगाया जा रहा है कि वह एल्युमिना प्लांट का विरोध करने के लिए आदिवासियों को उकसा रही है।

दिनांक 16.12.2000 को रायगढ़ के पुलिस उप अधीक्षक की उपस्थिति में पुलिस ने माईकांच गाँव में आकर महिलाओं को पीटा। बाद में पुलिस ने गोलीबारी की, जिससे तीन आदमी तत्काल मारे गए और कई दूसरे घायल हुए। गैर सरकारी तंत्र मरने वालों की संख्या छह बताता है। इसी दरमियान, सभी राजनीतिक पक्षों ने मिलकर एल्युमिना प्लांट के पक्ष में काशीपुर में एक रैली आयोजित की थी और बंद रखा था। उसी दिन 'अग्रगामी' कार्यालय में भी उपद्रवियों ने तोड़फोड़ की थी। इस तरह रायगढ़ के लोगों को स्वैच्छिक संस्थाओं के विरुद्ध उकसाया जा रहा है और स्वैच्छिक संस्थाओं को डराया जा रहा है। अग्रगामी ने काशीपुर और माईकांच में हुई घटनाओं की निष्पक्ष जांच कराये जाने की माँग की है। इन घटनाओं का विरोध जताने के लिए लिखें : मुख्य मंत्री, उड़ीसा, फैक्स नं. 0674-400100।

आदिवासी अधिकार रैली

10 दिसंबर, 2000 को मानवाधाकिर दिवस पर सूरत में 11.12.2000 सोमवार को आदिवासी सर्वांग विकास संघ द्वारा एक विशाल रैली का आयोजन किया गया था। निझर, उच्छल, सोनगढ़, व्यारा, मांडवी, मांगरोल और उमरपाड़ा के संघ द्वारा इस रैली में लगभग 6000 आदिवासी उपस्थित थे।

सूरत के नवसर्जन ट्रस्ट के कानूनी सहायता और मानवाधिकार केन्द्र द्वारा रैली को पूरा मार्गदर्शन प्रदान किया गया था। आदिवासी लगभग 80 वाहनों में अपने खर्च पर सूरत आए थे। रैली सुबह दस बजे सहारा दरवाजे से निकली और अठवा गेट के पास वनिता विश्राम ग्राउन्ड में पहुँची थी और वहाँ वह सार्वजनिक सभा में बदल गई थी। रैली के एक भाग के रूप में इन सात आदिवासी अंचलों की बुनियादी समस्याओं के विषय में एक आवेदन पत्र तैयार किया गया था, जो सूरत जिले के कलेक्टर को प्रस्तुत किया गया था। इस आवेदनपत्र में निम्न माँगें की गई थीः

- उपर्युक्त सात तहसीलों को अकालग्रस्त घोषित करके राहत कार्य तत्काल शुरू किए जाएँ।
- आदिवासी स्वशासन को क्रियान्वित किया जाए।
- रद्द की गई सभी आरक्षित सीटों को फिर से अमल में लाया जाए।
- उकाई डेम की दांई-बांई ओर की नहरों का पहले बनाई गई योजना के अनुसार तत्काल क्रियान्वयन किया जाए।
- आदिवासी इलाकों में विकास के नाम पर होने वाले विनाश, को बंद करें। उदाहरणार्थ - बांध, क्वोरियाँ आदि।
- उकाई बांध के प्रभावित गाँवों को रेवन्यू गाँवों के रूप में घोषित करें तथा जिन घरों का नामांकन नहीं हुआ, उनके

लिए तत्काल कार्यवाही करें। उदाहरणार्थ - पेथापुर, मोगलबारा, धूंपी, पाटीबेधारा, सयाजीगाम इत्यादि।

- जंगल विभाग की जमीन के गाँवों को रेवन्यू गाँव घोषित करें।
- गायकवाड़ी हिन्दू कानून 1937 को रद्द करके महिलाओं को पिता की जायदाद में हिस्सा दो।
- शिक्षा क्षेत्र में गैर-साम्प्रदायिक शिक्षा दी जाए।
- जन्म-मरण, जातियों के प्रमाणों में हिन्दू निवासी, हिन्दू ग्रामीण आदि लिखना बंद करके आदिवासी निवासी, आदिवासी ग्रामीण इत्यादि शब्द लिखें।
- व्यारा को जिला बनाया जाए और उसमें निझर, उच्छल, सोनगढ़, व्यारा, मांडवी, मांगरोल और उमरपाड़ा तहसीलों का समावेश किया जाए।
- गुजरात राज्य मानवाधाकिर आयोग गठित करके उसे सक्रिय बनाएँ।
- जनता को झेलनी पड़ रही कमरतोड़ महंगाई को घटाने के लिए तत्काल उपाय किए जाएँ।
- आदिवासी इलाकों के सक्रिय स्थानीय संगठनों को जिला संकलन या आयोजना समिति में प्रतिनिधित्व दिया जाए।
- आदिवासी समाज में विभाजन न हो, वे शांतिपूर्वक जी सकें इसके लिए जिले की तटस्थ एवं प्रामाणिक समिति बनाई जाए, जो प्रशासन तंत्र के लिए मददगार बन सके।
- आदिवासी अंचल की प्राथमिक सुविधाएँ पूरी तरह से उपलब्ध कराई जाएँ और उसमें मदद देने वाले स्थानीय संगठनों को दायित्व सौंपा जाए।
- सोनगढ़ तहसील में 178 गाँव हैं, जो एक विशाल तहसील कहलाती है। इसको दो तहसीलों में विभाजित किया जाए ताकि उसका विकास द्रुत गति से हो सके।
- उकाई बांध के प्रभावितों के लिए एक अलग यूनिट बनाएँ, ताकि उसका आसानी से द्रुत विकास हो सके।
- उच्छल, सोनगढ़ और उमरपाड़ा में कोर्ट की व्यवस्था कायम की जाए ताकि लोगों के समय, शक्ति, धन का बचाव हो सके।
- ग्राम सभा को प्रभावी बनाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में सक्रिय रीति से काम करने वाले संगठनों को ठोस दायित्व और सत्ता सौंपी जाए।
- संविधान-प्रदत्त मूलभूत अधिकारों में दखलंदाजी रोकें।
- आदिवासी इलाकों में होने वाली विकास की प्रक्रिया में स्थानीय लोगों को सहभागी बनाया जाए।

एक और सफाई कर्मचारी की मृत्यु

दिनांक 4.10.2000 को अहमदाबाद नगर निगम के सफाई कर्मचारी नाथाभाई मोहनभाई मकवाणा की गटर में काम करते समय मृत्यु हो गई। वे किसी भी तरह के जीवन-रक्षक साधनों के बिना गटर में काम कर हे थे। वे गटर में उतरे और जहरीली गैस से दम घुटने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। वे अपने परिवार में पत्नी और तीन बच्चों को विलाप करते छोड़ गए हैं।

सफाई कर्मचारियों को संगठित करने की प्रवृत्ति करने वाला 'कर्मचारी स्वास्थ्य सुरक्षा मंडल' बताता है कि अहमदाबाद नगरनिगम में ऐसे असंख्य सफाई कर्मचारी हैं जो लगभग तीन साल से काम कर रहे हैं, फिर भी उन्हें स्थायी नहीं किया गया। उनकी सुरक्षा के लिए भी कोई उपाय नहीं किया गया। परिणामस्वरूप बहुत सारे सफाई कर्मचारी स्थल पर काम करते हुए मर जाते हैं। उन्हें मुआवजा भी नहीं मिलता। अधिकारियों के सामने 'कर्मचारी स्वास्थ्य सुरक्षा मंडल' की सिफारिशें लगभग बहरे कानों से ही टकराती हैं।

'कामदार स्वास्थ्य सुरक्षा मंडल' द्वारा 13.10.2000 को अहमदाबाद महानगरपालिका के द्वार पर नाथाभाई मकवाणा को श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम रखा गया था और सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त व्यवस्था की माँग हेतु प्रदर्शन आयोजित किया गया था। गटर में उतर कर काम करने वाले सफाई कर्मचारी मिथेन और हाईड्रोजन सल्फाइड जैसी जहरीली और जान लेवा गैसों व रसायनों का खतरा उठाते हैं। अहमदाबाद महानगरपालिका तथा गुजरात सरकार द्वारा इन कर्मचारियों की सुरक्षा के मामले में बराबर उदासीनता ही प्रकट की जाती रही है।

भावी कार्यक्रम

सामाजिक विकास दृष्टिकोण के विषय में प्रशिक्षण कार्यक्रम

भारत के पश्चिमी भाग के विकास कार्यकर्ताओं के लिए 'उन्नति' के द्वारा 'सामाजिक विकास के दृष्टिकोण' विषय पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम 20-23 मार्च, 2001 के मध्य आयोजित किया जाएगा। समाज में होने वाली सीमांतीकरण और गरीबी की सामाजिक प्रक्रियाओं के बारे में विकास कार्यकर्ताओं का ध्यान खींचने और सहभागिता, सशक्तिकरण और चिरंतनता के विचारों को समझ कर, एक-दूसरे से जुड़कर क्षेत्र की प्रवृत्तियों में क्रियान्वयन हेतु विकास कार्यकर्ताओं को सक्षम बनाने के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। गुजरात और राजस्थान राज्यों के कार्यकर्ता इसमें भाग ले सकते हैं। यह कार्यक्रम हिन्दी और गुजराती में आयोजित किया जाएगा। सम्पर्कः 'उन्नति', अहमदाबाद.

सामाजिक लिंगभेद और विकास हेतु शिविर

'इनीशियेटिव्जः विमेन इन डेपलपमेंट' द्वारा 'लिंगभेद और विकास' के बारे में 17 से 22 जनवरी, 2001 के मध्य एक शिविर लगाया जाएगा। इसकी पद्धति क्रियात्मक और सहभागी रहेगी। सहभागियों को संबंधित साहित्य गुजराती भाषा में दिया जाएगा। स्वैच्छिक संस्था में कम से कम 1 वर्ष का अनुभव रखने वाले व्यक्ति इसमें भाग ले सकेंगे।

शिविर के मुख्य प्रयोजनः

1. सहभागियों में लिंगभेद के सवालों की सैद्धांतिक समझ विकसित करना, ताकि वे समाज व संस्थाओं में परिवर्तन लाने हेतु महत्त्वपूर्ण योगदान दे सकें।

2. सहभागियों को लिंगभेद आधारित विकास, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक परिवर्तन की गत्यात्मकता और उसके महिलाओं व गरीब वर्ग पर पड़ने वाले प्रभाव की समझ, जागृति और संवेदनशीलता बढ़ाने के अवसर प्रदान करना।

3. सहभागियों में आत्मसम्मान, उत्तरदायित्व, सम्बद्धता की भावना तथा नेतृत्व गुण विकसित करना।

विषय सूचीः

वैसे तो शिविर में सम्मिलित सभी सदस्यों की अपेक्षाओं के अनुसार विषय सूची को अंतिम रूप प्रदान किया जाएगा. तथापि शिविर में निम्न विषयों को शामिल किया गया है :

- लिंगभेद पृथक्करणः लिंगभेद का विधान, लिंगभेद आधारित कार्य का विभाजन, सार्वजनिक व निजी स्थान इत्यादि।
- पितृप्रधान सामाजिक व्यवस्थाः उद्भव, संस्थाएँ, व्यावहारिक स्वरूप और मान्यताएँ।
- नारीवाद और महिला आंदोलन।
- विकास का ढांचा
- वैश्वीकरण - महिलाओं और गरीब वर्ग पर उसके प्रभाव।
- महिलाओं पर होने वाली हिंसा।

शिविर का स्थानः शांतिनिकेतन, पोस्ट तीथल, वलसाड़ 396006
टिप्पणीः फीस रू. 100, प्रवास व्यय शिविरार्थी वहन करेंगे।
सम्पर्कः क्रांति, ए-201, वसंत व्यू, डीमोंट लेन, ओरलेजा, मलाड (वेस्ट) मुंबई 400064।

पृष्ठ 33 का शेष भाग

द्वारा दो भित्तिचित्र तैयार करवाए गए हैंः **1.** ससुर, पति प्रबंध करें, घर में बैठ कर दस्तखत करें, ऐसे उम्मीदवार नहीं चाहिए। **2.** नए नेताओं को मौका दो, महिलाओं को अब 'मत' (वॉट) दो। ये दोनों भित्तिचित्र मतदाताओं को पंचायतों में सक्रिय उम्मीदवारों के चुनाव हेतु प्रोत्साहन देते हैं। इसके अलावा, 'स्वशासन की ओर' नामक 60 मिनट की एक आडियो कैसेट तैयार की गई है। उसमें संजय दवे, शंकर वणकर और नरेंद्र सोलंकी के सात गीत हैं। मतदाता जाग्रति, ग्राम सभा का महत्त्व, दलितों के अधिकार और महिलाओं के प्रतिनिधि विषयों पर इन गीतों को संगीत दिया है दीपेश देसाई ने। लयबद्ध गीत मतदाताओं की बोधगम्य भाषा में लिखे गए हैं। ये गीत मतदाताओं को पंचायत सक्रिय बनाने तथा उसमें शासकीय सहभागिता पैदा करने की प्रेरणा देते हैं। संपर्कः 'उन्नति', अहमदाबाद।

संदर्भ साहित्य

पानी

पानी की समस्या का निवारण करने के लिए गुजरात में स्थान-स्थान पर स्वैच्छिक संस्थाओं के द्वारा जल-संचय एवं विकास के काम किए जा रहे हैं। ये काम 'चरखा-विकास संचार नेटवर्क' द्वारा प्रचार हेतु गुजराती अखबारों में प्रकाशनार्थ विविध लेख भेजे गए थे। उनमें से कुछ लेखों का इस पुस्तक में संग्रह किया गया है।

'गुजरात में विविध क्षेत्रों में लोक-प्रयास' श्रृंखला के अंतर्गत 'चरखा' ने यह पुस्तक प्रकाशित की है। विविध कार्यकर्ताओं ने अपने अंचल में पानी को लेकर संचय और वितरण के जो सहभागी प्रयास किए हैं वे इस पुस्तक के 22 लेखों में समाहित हैं। इसके अतिरिक्त सहभागी सिंचाई योजना के बारे में उपयोगी जानकारी, सिंचाई योजना के कई विभागीय कार्यालयों के पते और अहमदाबाद के समूह माध्यमों के पते भी इसमें दिये गए हैं। पानी की समस्या को लेकर चिंतित हर किसी के लिए यह पुस्तक उपयोगी है। प्रकाशकः चरखा - विकास संचार नेटवर्क, संपादकः संजय दवे, मूल्यः 30 रु., प्राप्ति स्थानः चरखा, 702, साकार-चार, मा.जे. पुस्तकालय के सामने, आश्रम रोड, अहमदाबाद 380006।

दलित ह्यूमन राइट्स वायलेंस

'राष्ट्रीय दलित मानवाधिकार अभियान' के द्वारा चेन्नई में 18-19, अप्रैल, 2000 के बीच दलितों पर अत्याचार को लेकर एक सार्वजनिक सुनवाई आयोजित की गई थी, जिसका दस्तावेजीकरण इस पुस्तक में किया गया है। इस सार्वजनिक सुनवाई में आंध्रप्रदेश, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के दलितों पर हुए अत्याचारों के किस्से प्रस्तुत किए गए थे। इस अंग्रेजी पुस्तक में संपूर्ण विवरण सहित 44 किस्से दिए गए हैं और 13 किस्से संक्षेप में प्रस्तुत किए गए हैं।

इन दो विभागों के अलावा तीसरे विभाग में अंग्रेजी अखबार 'द हिन्दू' में पत्रकार पी. सांईनाथ ने दलितों पर हुए अत्याचारों के बारे में जो विवरण प्रस्तुत किए हैं, उनकी सूची भी दी गई है और चौथे विभाग में सुनवाई के समय उपस्थित न्यायविदों के अवलोकन और सिफारिशें दी गई हैं।

अंतर्जातीय विवाह के लिए दलितों पर होने वाले अत्याचार, मंदिरों में दलितों के प्रवेश की मनाही, दलितों के घर तोड़ डालने, मुंबई महानगरपालिका में अस्पृश्यता, दलितों द्वारा बनवाये मंदिरों को तीन बार तोड़ डालने, दलितों को रास्तों का उपयोग न करने देने, दलितों को मैला ढोने हेतु बाध्य करने, विरोध करने वाले दलितों पर पुलिस का हमला, राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं द्वारा दलितों को सताना, दलितों को गैरकानूनी ढंग से हिरासत में लेना और पुलिस कस्टडी में सताना व उनकी मौंत, दलित परिवारों की जमीन हड़प लेना, दलितों से बेगार में मजदूरी कराने, पुलिस अड्डे पर दलित महिलाओं के साथ बलात्कार, दलित विधवाओं पर हमले, देवदासी प्रथा में दलित महिलाओं को सताना, दलितों की जायदाद को नष्ट करना, दलितों का सामाजिक बहिष्कार करना, झूठी मुठभेड़ में दलितों की मृत्यु, दलितों की छात्रवृत्ति का दुरुपयोग करने, दलितों की जमीन पर दबाव, आरक्षण रद्द करने की युनिवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन की धमकी आदि किस्से इस आम सुनवाई में प्रस्तुत हुए थे, जिनकी विस्तृत प्रस्तुति इस पुस्तक में की गई है।

दलित अधिकारों और मानव अधिकारों के बारे में चिंतित तथा इस क्षेत्र में कार्यरत कार्मिकों व सामान्य जनता के लिए यह पुस्तक अत्यंत उपयोगी है। मूल्य रु. 300/-, प्राप्ति स्थानः नवसर्जन, 2 रुचित एपार्टमेंट्स, धरणीधर देरासर के पीछे, सूरज पार्टी प्लोट के सामने, वासणा अहमदाबाद-380007.

पंचायतों हेतु मतदाता जाग्रति अभियान

ग्राम पंचायतों के चुनाव में लोगों की जाग्रति के लिए 'उन्नति'

शेष पृष्ठ 32 पर

इन तीन महीनों के दरमियान 'उन्नति' द्वारा निम्न गतिविधियां हाथ में ली गई थीः

राज्य स्तरीय विभाग

1. स्थानीय प्रयासों को समर्थन

गुजरात

- पोशित्रा बंदरगाह और विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र परियोजना के विरुद्ध ग्राम विकास ट्रस्ट द्वारका के सहयोग से नवंबर 27-28, 2000 के दौरान एक विरोध रैली आयोजित की गई। ओखा मंडल तहसील के 16 गांवों का उसके कारण विस्थापन हो रहा है। इस योजना के भाग के रूप में 24,000 हैक्टेयर खेती की जमीन का अधिग्रहण होगा और उससे लगभग 18,000 परिवारों को विस्थापन का शिकार बनना पड़ेगा। 2 दिसंबर को स्थानीय महिलाओं ने भी एक रैली निकाली थी। इन तीन महीनों के दौरान जन-जाग्रति हेतु अनेक पत्रिकाएँ और चौपनिये प्रकाशित किए गए। 'जनपथ' द्वारा आयोजित एक सार्वजनिक सभा में प्रो. केर ने लोक-संघर्ष विवरण प्रदान किया था।

राजस्थान

- विगत डेढ़ वर्षों से जो 'दलित अधिकार अभियान' शुरू किया गया है वह सार्वजनिक स्थानों पर दलितों के साथ किए जाने वाले भेदभाव के सवालों को लेकर काम करता है। इन तीन महीनों के दौरान ब्लॉक स्तरीय समितियों में सक्रिय रीति से काम करने वाले सदस्यों ने बाड़मेर जिले के सुंधरी में यह मुद्दा उठाया था। जब आदल ग्राम पंचायत के सरपंच एक विधानसभा सदस्य का परंपरागत रीति से सम्मान करने गए तो सार्वजनिक रूप से उनका अपमान किया गया था। ब्लॉक स्तरीय समितियों ने इस बारे में कलेक्टर कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया था और प्रचार-प्रसार माध्यमों में भी उनका अच्छा-खासा प्रचार हुआ था। एक नाई ने एक दलित के बाल काटने से इनकार कर दिया तो उसकी गिरफ्तारी कराई गई। बाड़मेर जिले के रामपुरा गाँव में घटित इस घटना के संदर्भ में ब्लॉक स्तरीय दलित समिति ने शिकायत दर्ज की थी और राजस्थान के नाई समुदाय को उससे एक सबक मिल गया था।
- प्राथमिक शालाओं में दलितों के प्रति किए जाने वाले भेदभाव के समक्ष नीतिगत हिमायत करने के लिए दलित शिक्षकों का एक संगठन बना है, जो अभियान को समर्थन प्रदान कर रहा है।
- राजस्थान में अकाल की परिस्थिति का आकलन करने के लिए एक अध्ययन पत्र तैयार करने हेतु 'डेजर्ट फोरम' को सहयोग दिया गया।
- अकाल का सामना करने हेतु राहत कार्य हाथ में लेने के लिए हम दाता-संस्थाओं से बराबर चर्चा कर रहे हैं। सहयोगी संस्थाओं को उनके इलाकों में अकाल राहत कार्य हाथ में लेने हेतु दाता-संस्थाओं के साथ सम्पर्क स्थापित करने के लिए हम मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं।
- इन प्रवृत्तियों के आयोजन और देखरेख के लिए नए संगठनों को काफी सहयोग दिया जाता है।

2. स्थानीय स्वशासन को प्रोत्साहन

गुजरात

- ग्राम पंचायतों के चुनावों को अनिश्चित काल हेतु स्थगित रखने से स्थानीय स्तर पर प्रजातंत्र के सामने खतरा उत्पन्न हो गया है। ग्राम-पंचायतों के चुनाव कराने के लिए सरकार पर दबाव बढ़ाने हेतु सहयोगी संस्थाओं के साथ मिलकर एक हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। 2000 से अधिक गाँवों से सम्पर्क किया गया और 28000 से अधिक ग्रामवासियों के हस्ताक्षरों वाले 4000 से अधिक पत्र मुख्य मंत्रीजी को भेजे गए। उसमें ग्राम-पंचायतों के चुनाव यथासमय कराने की माँग की गई। सरकार के साथ इस मुद्दे पर चर्चा के

लिए छह व्यक्तियों की एक समिति गठित की गई। मुख्य मंत्रीजी के सचिव श्री पी. के. लहेरी और राज्य के चुनाव आयुक्त के साथ इस समिति के सदस्यों ने चर्चा की और आवेदन-पत्र प्रदान किए।

- तहसील पंचायतों के चुनावों पर देखरेख के लिए 24.11.2000 के दिन एक अध्ययन हाथ में लिया गया। उसमें 10 जिलों की 24 तहसीलों की 48 बैठकों को शामिल किया गया। 19 स्वैच्छिक संस्थाओं के सहयोग से 1375 मतदाताओं के अभिप्राय एकत्र किए गए।
- पंचायत चुनावों के लिए जन-जाग्रति पैदा करने के लिए दो भित्तिचित्र और गुजराती भाषा में एक ऑडियो कैसेट तैयार की गई।

राजस्थान

- छह विभागों में सात पंचायत संदर्भ केन्द्र काम कर रहे हैं। ये अजमेर जिले के जवाजा, बाड़मेर जिले के चौहटन, बांसवाडा जिले के बाँसवाडा विभाग, जोधपुर जिले के मण्डोर, जयपुर जिले के गोविंदगढ़ और झुनझुनू जिले के अलीसर ब्लॉक में चलते हैं। प्रत्येक पंचायत संदर्भ केन्द्र में पंचायत के प्रतिनिधियों के लिए उपयोगी सारी सामग्री होती है। प्रत्येक केन्द्र के लिए दो कर्मचारी रखे गए हैं तथा सूचनाओं के आदान-प्रदान तथा गतिविधियों के आयोजन के लिए नियमित मासिक बैठकें आयोजित की जाती हैं।
- जवाजा में 'मगरा मेवाड़ विकास संस्थान' के सहयोग से पंचायत में चुने गये दलित प्रतिनिधियों हेतु पंचायत संदर्भ केन्द्रों के माध्यम से अनेक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। झुनझुनू जिले में अलीसर ब्लॉक की महिला सरपंचों व पंचायत सदस्यों के लिए शिक्षित रोजगार केन्द्र प्रबंधक समिति के सहयोग से ऐसे ही कार्यक्रम आयोजित किए गए।
- बाँसवाड़ा जिले की लोधा ग्राम-पंचायत में 'प्रकृति फाउण्डेशन' के सहयोग से वृद्धावस्था पेंशन तथा नहर के पानी के आवंटन के सवाल पर एक विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया गया था।
- प्रशिक्षकों के राज्य स्तरीय प्रशिक्षण का आयोजन 17-19, अक्टूबर, 2000 के बीच कराया गया। उसमें 27 संगठनों के 50 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। 20 अक्टूबर को पंचायती राज पर एक राज्य स्तरीय बैठक आयोजित की गई। उसकी अध्यक्षता 'प्रिया' के डॉ. राजेश टंडन ने की।

क्षेत्रीय तथा शैक्षणिक विभाग

3. दस्तावेजीकरण तथा विकास शिक्षण

- गुजरात एड्स प्रिवेंशन यूनिट के कर्मचारियों हेतु 4-5 अक्टूबर 2000 के मध्य सहभागी प्रशिक्षण के बारे में प्रशिक्षकों का एक प्रशिक्षण आयोजित किया गया था।
- विकासोन्मुखी कार्यक्रमों की प्रक्रिया दस्तावेजीकरण के बारे में एक प्रशिक्षण 15-18 नवम्बर, 2000 के मध्य आयोजित किया गया था। उसमें गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र की 21 संस्थाओं के 29 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था।
- अप्रैल 1999 से मार्च 2000 का वार्षिक विवरण तैयार कराया गया है और महत्त्वपूर्ण सहयोगी संस्थाओं को भेजा गया है।
- सहभागी प्रशिक्षण के बारे में गुजराती में एक पुस्तक तैयार की गई है, जो आगामी तीन महीनों में मुद्रित की जाएगी। सहभागी प्रशिक्षण के विविध पक्षों का इसमें विशद विवेचन किया गया है।

4. अनुसंधान, पैरवी तथा संबंधित गतिविधियाँ

- शहरी स्वशासन की प्रक्रिया को मजबूत करने तथा लोगों की सहभागिता को बढ़ाने के लिए धोलका में झोंपड पट्टी में गठित चार समितियों का एक शैक्षणिक प्रवास आयोजित किया गया। उन्होंने अहमदाबाद में संजय नगर, प्रवीण नगर और गुप्ता नगर की झोंपड़ पट्टियों का अवलोकन किया और महानगरपालिका, स्वैच्छिक संस्थाओं और कंपनी (कॉर्पोरेट) क्षेत्र के सहयोग से बुनियादी सुविधाएँ किस तरह उपलब्ध की जाती हैं, इसकी प्रक्रिया के बारे में ज्ञान प्राप्त किया।

- अपने नगर के शासनतंत्र में विद्यार्थियों को रुचिशील बनाने के उद्देश्य से 24.11.2000 के दिन धोलका में म्युनिसिपल शाला के विद्यार्थियों की एक चित्र स्पर्धा आयोजित की गई थी। उससे नगर की समस्याओं के बारे में शिक्षकों और माता-पिता के साथ विचार-विमर्श करने का हमें अवसर मिला।
- धोलका के चयनित प्रतिनिधियों और विविध हितैषियों के साथ 26 नवंबर और 23 दिसंबर 2000 के रोज नगर की समस्याओं पर चर्चा के लिए दो बैठकें आयोजित की गई थीं। प्रत्येक वॉर्ड में ऐसी बैठकें आयोजित करने के लिए नागरिकों के एक समूह का गठन किया गया था।
- बावला नगर के लिए एक रिपोर्ट कार्ड तैयार किया गया है, जिसमे नगरपालिका द्वारा उपलब्ध सेवाओं की प्राप्ति के बारे में लोगों की प्रतिक्रियाएं दर्ज की गई थीं। इसके द्वारा नागरिकों में जाग्रति पैदा करने की कोशिश की गई थी। वे नगरपालिका के अधिकारियों को सेवाओं में सुधार लाने हेतु बराबर अपनी प्रतिक्रियाएँ पहुँचाते रहेंगे। नागरिकों ने इन बैठकों में उत्साहपूर्वक भाग लिया था और नगरपालिका की सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने के लिए उन्होंने सक्रिय सहभागिता प्रदर्शित करने की उत्सुकता बताई थी।
- 'अहमदाबाद कम्युनिटी फाउण्डेशन' के तत्वावधान में शहर की समस्याओं के बाबत नागरिक मंडल तथा संस्थाएँ इस शोध में भाग ले सकेंगी, इसका हमने पता लगाया है।

शेष पृष्ठ 11 पर

उन्नति

उन्नति
विकास शिक्षण संस्थान
जी-1, 200, आज़ाद सोसायटी, अहमदाबाद-380015
फोनः 079-6746145, 6733296 फैक्सः 079-6743752 email: unnati@ad1.vsnl.net.in
राजस्थान क्षेत्रीय कार्यालय
21-ए 9वां पॉल रोड, बच्छराज जी का बाग, जोधपुर-342003 राजस्थान
फोन/फैक्सः 0291-643248, फोनः 0291-642185 email: unnati@datainfosys.net

रूपांकनः राजेश पटेल **गुजराती से अनुवादः** रामनरेश सोनी, **चित्रांकनः** विजित कुंडु
मुद्रकः कलरमैन ऑफसेट, सेलर, आगमन, मयूर कॉलोनी के पास, मीठाखळी छः रास्ता, नवरंगपुरा, अहमदाबाद- 380 009, फोन नं. 6431405

आप लोक शिक्षण व प्रशिक्षण के लिए विचार में प्रकाशित सामग्री का सहर्ष उपयोग कर सकते हैं। कृपया सौजन्य का उल्लेख करना न भूलें और साथ ही अपने उपयोग से हमें अवगत करायें ताकि हम भी उससे कुछ सीख सकें।